महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित बनायें

प्रशिक्षकों (इंसट्रक्टर) का प्रशिक्षण
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

दिनांक : 15 – 17 जून 2010

स्थान : नन्दनगरी डी टी सी प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण पठन सामग्री

प्रस्तुति द्वारा : जागोरी

संयुक्त सहयोगपूर्ण पहल द्वारा : जागोरी एंव यू एन ट्रस्ट फंड

सहयोगपूर्ण आभार : यूनीफेम एंव महिला व बाल विकास कल्याण विभाग, नई दिल्ली

इस प्रशिक्षण में सहभागिता के लिए जागोरी आभारी है डी टी सी, आकार और सेन्टर फॉर हेल्थ एंव सोशल जस्टिस का

महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित बनायें

प्रशिक्षकों (इंसट्रक्टर) का प्रशिक्षण
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

दिनांक : 15 – 17 जून 2010

स्थान : नन्दनगरी डी टी सी प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण पठन सामग्री

प्रस्तुति द्वारा : जागोरी

महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित बनायें
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रशिक्षकों (इंसट्रक्टर) का प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पठन सामग्री
दिनांक : 15 से 17 जून 2010

विषय सूची पृष्ठ संख्या

- **Report** 1—19
- **Training module** 20—22
- **Appendix II – List of participants** 23
- **DELHI WOMEN CAN DEPEND ON BUS CONDUCTORS FOR A SAFER RIDE Women Feature's Service** 24—28
- सार्वजनिक जगहों पर होने वाले यौन उत्पीड़न पर चर्चा 29—34
- यौन उत्पीड़न की गंभीरता 35—37
- कार्यस्थल पर यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की मार्गदर्शिका 38—42
- सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम में पुरूषों का सहयोग 43—46
- सिडॉ की हिंसा की परिभाषा 47—48
- महिला हिंसा – कुछ तथ्य 49—54
- मर्दानगी व जेंडर आधारित हिंसा 55—57
- ट्रेनर मॉड्यूल सामग्री 58—61

The *Safe City* Free of Violence against Women and Girls Initiative

A collaboration of Delhi Government, JAGORI, UNTF and UNIFEM

Training for the Delhi Transport Corporation Instructors

Facilitated by JAGORI in partnership with AAKAR and CHSJ

June 15 - 17, 2010

Nand Nagri Training Centre, Delhi

The Safe Delhi Campaign for Women is a joint initiative of JAGORI; the Department of Women and Child Development, Delhi Government; UNIFEM and UN Habitat.

A three-day training was organized for the Instructors of the Delhi Transport Corporation (DTC) from July 15-17, 2010 at the DTC Training Centre, Nand Nagri Depot. This training was supported by the United Nations Trust Fund, managed by UNIFEM as part of the series of sensitization campaigns among DTC bus drivers/conductors, since 2007, to create awareness about gender safety,

The training brought together 47 Instructors of the DTC. This capacity-building workshop was for the trainers of the drivers/conductors who could in turn reach out during their training to the other staff members and sensitize them on the issue of women's safety. At the same time, the training also exemplified the realization of the authorities to take this strategic partnership between JAGORI and DTC to the next level in order to ensure greater safety for women in public transport.

Objectives:

- To enhance perspectives and knowledge of the participants to reflect on why violence and sexual harassment is all-pervasive and to find ways to eliminate it.
- To enhance knowledge and communication skills to train the drivers/conductors/crew of the DTC in addressing these issues and ensuring prompt actions.

Methodology:

The methodology was based on the principles of adult learning and addressed the participants in their prime roles as instructors/teachers and as significant

members of the family and community. It opened up an opportunity for them to reflect on and examine their own socialized masculinities and gendered power relations at all levels. It comprised a series of reflection sessions, evidence-based inputs, media and communication sessions, and practice sessions.

Key content areas

1. Exploring the reasons as to why women face violence and sexual harassment; understanding the instructors' awareness level and their perspective on the issue, and how best they can respond to it.
2. A deeper understanding of masculinities and gender and power relations.
3. Identification of effective mechanisms of redressals/referrals and how a more organized information base could be set up. Developing key messages/modules for the next round of DTC drivers/conductors training.

Session Summaries

Day 1: Opening Session:

The training was inaugurated by Anne Stenhammer, Regional Director, UNIFEM, South Asia Office; Geetika Sharma, Joint Director DWCD; A.K. Srivastava, Senior Manager, Personnel and Training DTC and Suneeta Dhar, JAGORI. In her opening remarks Ms. Stenhammer, highlighted the feelings of insecurity among women in Delhi. She elucidated the need for sensitivity and strengthening of systems that ensure 'No Tolerance to Sexual Harassment against Women' and the necessity of developing a multi-pronged strategy to address the issue. She gave critical importance to educating young women and girls about their right to assert and demand safety and mobility.

Ms Geetika Sharma, Joint Director, Department of Women and Child, Delhi Government said that safety is a woman's human right and stressed the need to

sensitize people at large. She suggested that the DTC should have a complaint book and help-line numbers for women who face harassment. Although 40 percent of the Gross Domestic Product (GDP) is contributed by the women's workforce, women have no share of it when it comes to their safety and security; they continue to face violence both within the private and public domain. In this context, the DTC plays a pivotal role in building a model of safety for all women in Delhi.

Mr. A.K. Srivastava, Senior Manager - Training, DTC ascertained that they are keen to work for the cause in full co-operation with Jagori. He welcomed the idea of inducting female drivers and conductors in the DTC buses and providing them with equal opportunities.

Suneeta Dhar, Director, Jagori welcomed this partnership and reiterated the need to build on Jagori's earlier experience of training more than 3500 drivers and conductors in the DTC. She urged that a woman-friendly environment be built and that all partners work closely to find ways of mentoring the process.

Formal session:

The three-day session was co-facilitated by Seema Srivastava and Madhu from Jagori, Rahul Roy from AAKAR and Satish Singh from the Centre for Health and Social Justice.

Following the introductions, it was interesting to note that most of the Instructors had been associated with the DTC for over a period of 25 years in various capacities, and hence would be best able to design strategies that would work for their other colleagues as well as identify with their challenges.

A group exercise was undertaken; the groups identified the key locales in the city that are generally accessed by both men and women during the day and at night.

This brought into focus certain sites that are particularly harder for women to access. On reflection as to why fewer women are visible in these public places and what could be the key obstacles they face, and the factors that create insecurity, the exercise highlighted the gendered nature of experiences and general perceptions of women's mobility based largely on cultural boundaries that mediate their safety.

Statements by participants:

Geographical location matters; women in urban areas are more mobile than those in rural areas. However, urban areas are prone to higher risks since safety measures do not exist. In rural areas, the community members know each other and, therefore, incidents of sexual harassment are fewer.

Parents restrict women/girls from staying out late nights.

Delhi is the city of migrants, and hence people do not relate to each other so well. This results in no attention being given to women's safety needs.

Women are responsible as they invite trouble: wearing clothes that shock.

Women don't follow traditional/cultural practices, even though these are rapidly changing. Thus there are more restrictions on girls than on boys.

Issues of sexual harassment and violence against women were also raised. The group deliberated on the relation between sexual harassment and factors such as the geographical location, socio-economic and demographic conditions of the area. According to one participant, the differences in gender roles in terms of the assigned responsibilities of women and men in the family make it difficult for some women to go out of their homes.

It was also noted that the perceptions of safety vary in the different localities of Delhi, ranging from fears of being robbed, assaulted, harassed, to even being murdered. The facilitators shared that sexual harassment is experienced by every women, of any age, class or other social identity, everywhere, in both crowded such as railway stations, bus stands, public parks, market places, or

secluded spaces, day time or after dark. Also it has been widely found that a perpetrator can be from any socio-economic background, age, education, profession. It's a misconception that the perpetrators of violence are from a specific class and educational background. Therefore the larger issue is related to changing the mindsets and attitudes. Often times, notions of honour and shame mediate women's sharing of experiences with their families. Besides, all age groups face harassment; including some men; though it must be noted that this is not an issue between men and women but between men themselves.

Another important factor is certainly the nature and design of the infrastructure in the area. Some of these observations are amply borne out in the Jagori and New Concept survey undertaken recently.

A series of questions were put forth to the trainees:

- How many women in your families have ever come up to you to share they have been sexually harassed in public spaces?
- How many of you have talked to/asked the female members of your family if they face harassment in public places?

There were a few stray responses to the above. Participants shared that generally people in buses do not support the victim; further women seem to tolerate the harassment and do not make complaints as procedures with the police and courts seem daunting. The DTC has passed a circular that on occurrence of such incidents, the driver must leave the bus headlights on, signifying the urgency of an issue in the bus; the PCR vans are expected to respond to such signals. This circular has been sent to all the police stations as well.

Jagori shared with the participants the key findings of the earlier survey undertaken in Delhi.

One of the participants said:

Mere vichar mein jo yaun shoshan ka aarth ye hai ke kise bhi mahila ya ladki ke saath uske icha ke viroodh ya jaise bus mein bheedh jada hone ka laabh uthate hue ko bhi unchahi harkat, use sharirik roop se ched chad, ya koi abhadr tarike, ya galat sanketo ka ya galat body language ka istemal karte hue koi uss ladki ko chedta hai, aur aaj kal mobile se ashleel gaane baaja ke uss ladki ko sandesh dene ya pareshan karne mein istimal hota hai., joh nahi hona chaiye.

(According to me, sexual violence means harassing a woman against her will or/and consent, like taking advantage of the crowded bus to physically harass a women, dispalying indecent gestures, and indecent body language, playing indecent songs on cell phone … that should not be done…)

At the end of the day, the participants were asked to reflect on three questions:

- As DTC staff, have you witnessed any kind of sexual harassment in the DTC buses?
- What was your reaction? How did you assist?

DAY TWO: JULY 16th

The second day of the training commenced with the participants sharing their responses to the questions. Some of them had talked to women not known to them, while only two had talked to women of their families. They were also asked to share their experience as to how they felt while talking to their family members about sexual harassment.

One of the participants recalled from his experience that being conductors one can only take action when a woman approaches them and is ready to speak out. The group shared that if the driver/conductor is equipped with modern technology, for

"*Hume pata toh hai ke ye hota hai. Jab hum saath mein hote hai, tab hi kai baar koi kuch bolta hai, toh humare na hone par toh hota hi hoga naa" (We all know that it takes place. It happens when we are around, people pass comments, then, I am sure it also takes place in our absence)*

example a cellular phone, then it would be easier for him to notify the police. The revamping of the system to effect appropriate action was also suggested. Better infrastructure could be brought in place to facilitate assistance from the staff in this matter. There should be strict guidelines for the instructors with DTC to sensitize their students on the issue as part of their curriculum. This could also serve as a monitoring mechanism for the training programmes.

This discourse further moved to a deeper understanding of sexual harassment and violence against women and the role of masculinities. The group reflected on the issues of masculinity and femininity, and of power relations that determine the nature of gender and social relations. They recalled an incident where they felt the exercise of power on them had in turn affected their actions. While most of the participants referred to the power pressure within their professional field, a few also shared their personal experiences, and concluded that the exercise of power need not necessarily be negative; that power when used negatively could make the other person feel inferior and deny some of them their rights. Power that is used to 'empower' the other person is a positive exercise of power and is justified .One of the facilitators referred to the social sanctions that men use to exercise authority over others, especially women.

- Four key aspects of the social construction of gender need to be analyzed thus:

1. SOCIAL ROLES
2. SOCIALLY EXPECTED/APPROVED RELATIONSHIP
3. SELF
4. EXPECTED/APPROVED BEHAVIOUR

Several dimensions of the gender and unequal power dynamics were discussed; messages that men received early in their growing years and how these reinforced their masculinities and sense of power.

7Issues of how patriarchy, class, caste, sexuality mediate gender relations and also work on gender ascriptive roles and set a pattern of gendered division of labour. Yet another dimension analysed was how the social and sexual orientation that men receive in their early years is based on the hegemony of masculinity. Messages including ‘na-mard and ‘kya mard’, have absolute social sanction and do not provide space for gender equality.

The day culminated with the screening of the movie *Zor Se Bol* — a video produced by Akshara’s Community Video Unit, on street sexual harassment in Mumbai. The movie provided an avenue for dispersing some of the myths and placing facts around the issue of sexual harassment.

As an exercise the participants were asked to gather reactions and feelings of men around them (in family and work spaces) who have either seen or have themselves been involved in sexual harassment and how did they respond.

DAY THREE: JUNE 17TH

A few men shared their experiences.

During this session, the participants talked about how women were getting more and more influenced by the western culture, referring to the changes taking place in the way they dress. An example was drawn from the presentations made by women/girls during the Indian Premier League and at the Pragati Maiden events in Delhi. They also felt that the media and the life-style issues influence such matters.

Issues of ‘culture’ were discussed, keeping in mind the main aim of the exercise, which was to get the participants (and the people known to them) to wake up to the fact that sexual harassment is not the result of the western cultural influence; that there are graver issues such as subjugation of women which has become an

integral part of this culture and that we should accept the fact that women do face problems because of sexual harassment, irrespective of their age, place, or the clothes they wear.

The differences in mere teasing and sexual harassment were discussed, as were the issues of consent and the need to understand and respect another person's personal boundaries. Linked to these are the larger issues of disrespect and violation of the rights of the vulnerable groups in society who come from marginalized and dispossessed backgrounds and experience harassment. An overview of human rights movements across the globe on gender issues was also shared.

Global Overview:

Ms. Shipra Narang shared the initial findings of the recent survey conducted by JAGORI which showed that 30 percent of the women interviewed feel unsafe in public transport and 40 percent feel unsafe while waiting for the same near the street. She cited the experiences of a few women across the world (London, Dar-es-Salem, Mexico) and stressed the need for proper lighting, improved design of bus stops and other infrastructure and change of attitudes at large.

In 2004 in a survey carried out in the UK, 60 percent of the women reported that they feel insecure in public transport; the incidents of violence reported ranged from serious to less dangerous. Consequently, there was increased security in the public transport on the identified high-risk routes; extra lights were erected at specific spots, on streets and particularly near the bus stops that are prone to incidents of violence. In London after 7 pm women can get off the bus wherever they want to and the drivers have been instructed to stop the bus for them.

New York City: In the survey conducted here, 63 percent of the women reported that they face sexual harassment in the subways and 10 percent reported being assaulted. Red phones were installed at the risk prone locations/areas; the moment the receiver is picked up, the line connects to the police control-room, and the police reaches the spot/s immediately. This has led to a significant reduction in the number of assaults on women in these places.

Mexico City: 67 special bus services were inducted on 23 routes. The bus conductors and drivers were specially trained to exclusively handle services for women.

Tokyo: In 2001, in a survey conducted here, women reported that subways are the most insecure places to use.

Rio De Janeiro: Here too, in a survey conducted in 2006, women reported that subways are the most insecure places for women, and the government put up more lights and provided increased security in these areas.

Based on the above presentation a group activity was conducted. The trainees were divided into four groups and given the following questions to discuss:

1. What are the roles and responsibilities of the DTC personnel to stop VAW in their buses?

2. Departments/management — what can they do to help?
3. What kind of help would you expect and from where/whom can this help be sought?

In all the four group presentations one aspect was clear — that it is the responsibility of the drivers and conductors to inform the police about any incidents of sexual harassment and also to help the victim at the time of crisis, with the help of the co-passengers.

Moreover, the situation should be handled in a caring and sensitive manner; requesting the perpetrator to move away from the place and if necessary, asking the victim to change her seat. The drivers and conductors should also ensure that men do not sit on women's seats, and they should allow the women to get in from the front door. Besides, lighting should be increased inside the buses, and steps taken to create awareness about the need to fight back sexual harassment.

It was also suggested that mobile phones be provided to the conductors/drivers in case there is an emergency and they need to call the police and/or the DTC office; CCTV should be installed in the bus; the department should initiate campaigns on women's safety in the buses by displaying captions, slogans, and information on legal provisions; extra security should be provided by posting police or security personnel in the vehicle; the frequency of the buses should be increased along with plying women's specials during peak hours; and last but not the least, the staff should be appropriately rewarded for their work in handling incidents of violence and crises.

Support from co-passengers, police, women, and the Delhi government is needed to address the issue and problems; stringent laws are needed to deal with the cases of sexual harassment. Campaigns should be held in public places and schools and through street plays, build the capacity of girls to handle such situations and to fight back discrimination and injustice. First-aid kits could be provided in the bus, Urban planning designs should include participation of

resident welfare associations and police, civic awareness, legal reform, and support to the victims. There was also a suggestion that police authorities be made more approachable than what the survey findings have reported. Also, if the public transport is safe and affordable, more women would opt for the public sector jobs as they would then not hesitate to use the public transport. University Special Buses could be planned. The authority of the driver and the conductor should be extended to an extent that they do not shy away from taking action against the perpetrator. The DTC could also think of adopting certain progressive and sustainable measures, such as ensuring that women, especially after office hours and late at night can get down closer to their destination, rather than at the prescribed bus stops.

Next Steps:

During the last session a module was proposed and developed by the DTC participants. The module was based on the discussions held by each of the four groups of participants on the three questions put forth to them by the facilitators:

1. Kya kar Sakte Hai? (What can be done?)

2. Kya madad chaiye? (Is assistance required?)

3. Kisse madad chaiye? (Who should assist you?

Suggestions by the Group:

KYA KAR SAKTE HAI?

1. Agar samvahak kisse ladki ke saath chedkhani dekhta hai toh uski seat badli kara sakta hai ya apni seat bhi de sakta hai.
2. Samvahak ched khani karne wale ko pehle pyaar se samjha sakta hai, chetawani de sakta hai.
3. Chalak avam samvahak apne phone se PCR ko soochit kar sakta hai.
4. Nazdiki PCR ya Police Station milta hai toh chalak gaadi vaha bhi le jaa sakta hai.
5. Samvahak ched khani rokne ke liye bus mein beethe yaatrio ko bhi apne favour mein kar sakta hai aur unse madad le sakta hai.
6. Chalak ke samne lage hue shesse se chalak poore bus mein ho rahi gativadhio par dhayn rak sakta hai avam samvahak bhi samay samay par

KYA MADAD CHAIYE?

1. Chalak avam samvahak ko management se madad milne chaiye na ke saza.
2. Ched khani se sambandhit sticker buso mein jyada se jyada chikaye.
3. Chedh khanni hone par peedth mahila chalak ya samvahak ko avashak soochit kare aise sticker bhi lagaye jaaye.
4. Har Samvahak ko ek phone ke soovidha bhi honi chaiye.
5. Soochna milne ke baad PCR van jaldi se jaldi mauke par pahucne chaiye.
6. Public ko jaagruk karne ke liye drawing avam samchar patro ke madham TV, nukad naatko dwaara samjhaya jaaye ki chedhkhane karne par ye saza milte hai.
7. Bheedh Bhaadh ke samay bus mein ek police wale ke duty ho avam kisse bhi police wale ke bus mein yaatra karte samay poore jimedari bana de jaye ke voh chedkhani ke samay avashaya bole.
8. Chedkhani rokne wale staff ko samay samay par protshait kiya jaana chaiye

KISSE MADAD CHAIYE?

1. Samaj ke pratayek naagrik se madad chaiye, chaye voh poorush ho ya mahila.
2. Delhi Police ke veshes bhumika hone chahiye kissi bhi nagarik ko suraksha dene mein jab ke voh cheedh khani rokne ka pryas kar raha ho.
3. Vibhag swara sambandhit chalak ya samvahak ko chot lagne par avakaash avam chikitsa soovidha dene ka pravadhan hona chaiye
4. Chedh khani rokne mein chalak avam samvahak ko peedth mahila se bhi madad chaiye.

According to the module, the driver/conductor of the bus — when an incident of sexual harassment takes place — has the authority to stop the bus at that very moment, without the fear of being interrogated at the Depot in case the bus gets delayed. The driver/conductor should also switch on the headlights of the bus and raise an alarm by blowing the horn, so as to bring the issue to the notice of the nearest PCR van so that the problem could be addressed. This seemed like a practical solution and was considered to be feasible by all the participants.

"Kanoon mein badlav hona chahiye. Agar saaza hogei, do mahine ke, teen mahine ke, toh dar hoga logo mein." (there should be a change in the law. If there is punishment for say 2 months, 3 months, people will have a sense of fear)

"Ladkio ko training de jaane chahiye ke voh dare nahi aur thapad se hi sahi par sahna nahi chaiye." (Girls should be trained so that they can overcome their fear, if required they can also slap the perpetrator but should not stay silent)

"Ladkiyo mein self confidence hona chahiye. Jab tak unmein aatam vishwas nahi hoga tab tak voh shoshan ka shikar hoti rahege. Toh sabse pehle uss ladki ka atam vishwas paida ho, aur samaj mein bol sake. (Girls should have self confidenc; unless they have self confidence, they will continue facing this violence. So, the first thing is self confidence among girls so that they can raise their voice)

"Jab tak hum naitakita ke training nahi denge, tab tak koi badlav nahi hoga."(till we train people on the right moral values, nothing will change)

Mr. A.K. Srivastava, Sr. Manager - Training, DTC in his concluding remarks said that the solution to the issue is to focus on changing the behavioral and perspective make-up of individuals vis-à-vis their treatment of women. The initiative of introducing helpline numbers in the DTC buses, he felt, was a fine example of spreading awareness and reaching out to the masses. Capacity-building workshops like these would definitely assist the instructors to disseminate the information in an efficient manner. Mr. Srivastava gave assurance of continuing this work on a long-term basis and also putting in place sustainable systems in full cooperation with JAGORI.

Feedback from the Participants

Following the three-day workshop, most of the participants felt that the discussions on sexual harassment were significant. They felt that violence in any form is unacceptable and it is imperative to raise one's voice and fight against it.

One of the participants stated that women from all social identities, like class, age, caste live with the fear or experiences of harassment, which is rarely a one-time incident. Thus the sessions on understanding power dynamics during the sessions on masculinity and gender were beneficial. The training also laid out the myths and realities on violence against women, as prevalent in society. This proved constructive in drawing out the relevance and the understanding of the issue.

There were some topics taken up during the training that the participants were either not convinced about or did not clearly understand. They found ambiguities in the discussions held on the impact of westernization on sexual harassment, role of society in the context of violence against woman, relation of independence and empowerment of women with violence faced by women. At the same time, one of the participants was hesitant on their role and rights to deal with the harassment cases.

Most of the participants were not willing to accept the findings of the street survey undertaken by Jagori (shared at the training) on the safety of women in Delhi. While some felt that the statistics were incorrect others seemed not too sure as to what was correct.

The participants unanimously felt that the training was useful and will help the instructors train the drivers and the conductors. The training methodology was appreciated by the participants and so was the tips shared with them by the facilitators. The participants will further disseminate the information gathered at the training to the wider audience of the DTC and will also share their experiences and insights into the issue of harassment with them.

The participant's collectively felt that the reading material was an excellent aid to formulating the training sessions with the department.

There were suggestions on including more creative reading materials like posters and stickers for future training purposes in the reading kit.

The participants also felt that there should have been a detailed session on laws against the act of sexual violence/ assault and on the role of the government, as well as on the steps that can be taken by the transport department.

Recommendations

- The participants felt that the role-play medium used in the previous training was very effective and should have been incorporated in these sessions too as it helps to develop a better and lasting understanding of the issue.
- Pamphlets should be designed on the issue, for dissemination in buses.
- Refresher courses should be planned as a calendar event and conducted at all the major DTC Depots.
- Practical sessions with women at bus stops should be taken up. This will help them become more proactive and confident.
- Street theatre and pantomime plays were suggested as a creative medium of engaging commuters.
- Police officials in civil uniforms at some routes identified as unsafe by the DTC staff, to conduct regular checks and provide immediate redressals. The police department thus, should also be sensitized on this issue.
- The drivers and conductors should be given authority to deal with and act upon any incident of sexual harassment immediately on the spot. The DTC management should be more sensitive and responsive towards the complaints and issues concerns with drivers and conductors.

Appendix 1:

Training Module for DTC Instructors

June 15 – 17, 2010

Facilitated by JAGORI in partnership with AAKAR and CHSJ

Key focus:

To enhance perspectives and knowledge of 50 instructors to reflect on why violence and sexual harassment is all-pervasive and the need to find ways to eliminate it.

To enhance knowledge and communication skills of the instructors to train drivers/conductors/crew of DTC in addressing these issues and ensuring prompt action.

Training Faculty:

The training will be led by JAGORI in partnership with AAKAR and the Centre for Health and Social Justice, New Delhi.

Methodology:

The methodology will be based on the principles of adult learning and will address the participants in their prime roles as teachers as well as create an opportunity for them to reflect on or examine their own masculinities and gendered power relations. It will comprise a series of reflection sessions, evidence based inputs, media and communication sessions, and practice sessions. If possible, a safety audit walk will be undertaken in the neighbourhood with some volunteers to create a live experiential base. The process will be monitored for future learning and learner feedback taken in a structured manner.

Key content areas:

1. Understanding as to why women face violence and sexual harassment. This will also include a deeper understanding of what the instructors know about this issue and how best can they can respond to it.

2. A deeper understanding of masculinities and gender and power relations.

3. What could be the effective mechanisms of redressals/referrals and how can we set up a more effective information base.

4. Developing key messages/modules for the next round of training for the DTC drivers/conductors.

Key trainer team: Seema and Madhu, Jagori

Rahul Roy: AAKAR

Satish Singh and Rajiv, Centre for Health and Social Justice

Materials: special reading materials will be distributed and CDs and spots shown during the training.

Monitoring: An external evaluator will monitor the process and strategy as part of the larger monitoring process of the project.

Training module

Training dates – 15th to 17th June

Special Inaugural Session: 10 – 11.15 am:

Opening Remarks: DTC representative

Key remarks: Anne Stenhammer, Regional Director, UNIFEM

Key Remarks: Representative, Department of Women and Child Development

Vote of Thanks: JAGORI

Tea session

Day	Time break-up	Session	Content	Method
15th June	Morning session	Introduction to the workshop What is Sexual Harassment in public places	Introduction of the participants, resource organisations and the workshop Mapping public spaces – factors that make women feel unsafe	PPT on JAGORI, CHSJ, AAKAR and Safe City project Group exercise and group discussions
	Morning session	Introduction to the workshop What is Sexual Harassment in public places	Introduction of the participants, resource organisations and the workshop Mapping public spaces – factors that make women feel unsafe	PPT on JAGORI, CHSJ, AAKAR and Safe City project Group exercise and group discussions
Expected outcome – establishing the fact that Sexual Harassment against women in public places is a serious issue and it happens across class, caste, time and locations.				

Day	Time break-up	Session	Content	Method
16th June	Morning session	Understanding gender, masculinities, and gendered spaces	- Gender stereotypes and its implication on women and men - Masculinity and its correlation with violence faced by powerless people - Power relations between men and women	Exercises and group discussions
	Afternoon session	Sexual Harassment at public places – form of Violence Against Women	Understanding VAW and the different forms of VAW – Sexual harassment at workplace, sexual harassment at public places, etc Laws related to the issues – sharing of different laws, Acts and guidelines	Film screening – *Zor se bol*
Expected outcome – build understanding on gender, masculinity and its implications on the lives of women and men. How social construction leads to normalizing violence against women and other vulnerable groups of people.				

Day	Time break-up	Session	Content	Method
17th June	Morning session	Strategies and critical interventions from international experiences	Shipra Narang, Jagori/UN Habitat Consultant Strategies for interventions and role of the DTC personnel	Presentations and discussions Group exercise
	Afternoon session	Facilitator's skill building sessions	Basic communication skills as facilitators Module preparation for training DTC drivers and conductors Practice sessions by instructors for one/two hrs session with DTC drivers and conductors	Group discussion and group work
Expected outcome – Using the acquired facilitation skills to pass on knowledge/sensitivity to the DTC drivers and conductors. Establishing how DTC can play a crucial role in creating women's safety within the bus as well as at bus stops. Messages can be crafted for the DTC for effective responses				

Appendix II – List of participants

S. NO.	NAME
1.	Sh. Prem Shankar
2.	Sh. Radhey Mohan Sharma
3.	Sh. Raj Kumar
4.	Sh. Mukesh Sharma
5.	Sh. Manmohan Swaroop
6.	Sh. Sunil Kumar Sharma
7.	Sh. Balvinder Singh
8.	Sh. Indraj Singh
9.	Sh. Jaikaran
10.	Sh. Shyam Chand
11.	Sh. Lakhmi Chand
12.	Sh. Ram Prasad
13.	Sh. Swaran Singh
14.	Sh. Samsher Singh
15.	Sh. Anil Sehrawat
16.	Sh. Jagdeep
17.	Sh. Balwan Singh
18.	Sh. Harish Chander
19.	Sh. Ranvir Singh
20.	Sh. Sunil Kumar Kaushik
21.	Sh. Dharmender Kumar
22.	Sh. Devinder Kumar Tanwar
23.	Sh. Davender
24.	Sh. Lalit Kumar Sharma
25.	Sh. Ramesh Puri Goswami
26.	Sh. Parvesh Kumar
27.	Sh. Gajender Singh
28.	Sh. Dilbagh Singh
29.	Sh. Daya Shankar
30.	Sh. Bijender Singh
31.	Sh. Sudershan Kumar
32.	Sh. Manoj Kumar
33.	Sh. Jitender
34.	Sh.Sri Kishan Chaudhary
35.	Sh. Vinod Kumar Sharma
36.	Sh. Ved Prakash
37.	Sh. Lokesh Mittal
38.	Sh. Nandan Singh
39.	Sh. Satbir Singh
40.	Sh. Chander Prakash
41.	Sh. Shamsher Singh
42.	Sh. Pratap Singh
43.	Sh. D.P. Singhal
44.	Sh. Roop Kishore
45.	Ch. C.P. Singh
46.	Sh. Tejbir Singh
47.	Sh. Subhash Chand

Appendix III : Women Feature's Service (WFS REF NO: **INDJ614J**)

INDIA
DELHI WOMEN CAN DEPEND ON BUS CONDUCTORS FOR A SAFER RIDE
By Tripti Nath

New Delhi (Women's Feature Service) - Almost a decade ago, a newspaper advertisement issued in public interest by the Delhi Police showed women being harassed at a bus stand in the presence of silent male bystanders. The copy read: 'There are no men in this picture or this would not happen'. The text may have sexist overtones but it flags the fact that Delhi has long had a reputation for being the most unsafe city in India for women.

Research by civil society organisations like Jagori, a women's training, documentation and communication centre based in Delhi, revealed that public transport is one of the critical spaces where sexual harassment takes place. Yet, women are forced to suffer this crime in silence, as people around them - mostly men - choose to look the other way. Even when a woman raises her voice against someone trying to invade her personal space, she gets no support, not even from the bus conductor who is the sole interface between the transport authority and the public.

Anuradha Singh, 42, a Delhi professional, confirms this trend. "I have been commuting by DTC buses from college days. As a student one doesn't know how to deal with harassment and feels extremely violated. If one decides to challenge them, there is no help forthcoming. Things have not really changed over the years."

Adds Sakshi Khurana (name changed), 25, "Before I started commuting by buses I was given a list of do's and don'ts by my mother. But nothing worked."

In an effort to make the daily commute of women like Anuradha and Sakshi a little more secure, the Delhi Government's Department of Women and Child Development teamed up with Jagori, to organise a three-day gender sensitisation training workshop for the instructors of the Delhi Transport Corporation (DTC). The workshop, held at DTC's training centre in Nand Nagri in North-east Delhi, was part of a project on making cities more gender inclusive.

A recent survey by Jagori, conducted among women who have been living in Delhi for more than five years has confirmed that 70 percent of women suffer sexual harassment of one kind or another in public places. Although its findings are yet to be formally released, the survey has shown that 38 to 40 percent women face sexual harassment in buses, auto-rickshaws and even on the metro.

Keeping in mind this disturbing scenario, Jagori designed a training module to sensitise the DTC instructors, who in turn train the drivers and conductors — the men who can eventually help make a difference. Fifty DTC instructors participated in the programme, which was supported by UNIFEM and the United Nations Trust Fund to End Violence Against Women.

During the training, the message was clear: Safety of women commuters should extend beyond merely running "ladies special" services. According to the 30-page training module, DTC drivers should ensure that helpline numbers are displayed on every bus. It reminds the drivers and conductors of their right to refuse entry

to persons who are drunk or are carrying arms. It enumerates nine actions that constitute sexual harassment and calls upon drivers to apprise the supervisors at bus depots of the cases of harassment and the action taken on such cases.

Besides, the module seeks to create legal awareness by listing the provisions in the Indian Penal Code that punish sexual harassment — Section 294 for obscene gestures or songs; Section 354 for outraging the modesty of a woman by using criminal force; and Section 509 for outraging a woman's modesty through obscene words or gestures.

Jagori has also taken a tough stand on the issue of reserved seats for women in DTC buses, which has drawn much resentment from men. The module clearly demonstrates that the seats reserved for women are their right and should continue to be so until such time that commuting conditions improve for women and they begin to feel safe in buses. Men can reclaim these reserved seats once that happens.

On the opening day of the training programme, Rahul Roy, a well-known documentary filmmaker credited with pioneering work on issues related to masculinity, initiated the interaction with the DTC instructors by asking a simplequestion: "How many of you have heard of complaints of sexual harassment from women in the family?" To his surprise, only three instructors raised their hands. He then asked the instructors if they had ever asked women members in their families to share problems related to sexual harassment. The question evoked responses bordering on chauvinism. Stated an instructor from Gurgaon, "In our families, women don't even step out to buy a matchstick." Another added that if their female relatives were ever stalked or harassed, they as the men of the family would not spare the person indulging in such behaviour.

Roy listened and then set an assignment for the instructors. Their homework on day one was to ask any woman member of their family whether she had faced harassment in a public place. The following day, three instructors came back with the admission that women in their families had indeed faced harassment and often suffered these experiences in silence as they feared retaliation. The instructors were more vocal when it came to talking about cases of sexual harassment on DTC buses. Observed C.P. Singh, an instructor, "Men who are in the habit of passing lewd remarks do not differentiate between women in their twenties and women in their fifties."

Most instructors felt that drivers and conductors need to be empowered to take action in cases of sexual harassment. Said Singh, "We recently got a circular directing us to flash headlights and blow the horn to draw attention to a case of sexual harassment. The circular authorises the driver to approach a police control room or a police van for help."

However, Singh's colleague, Davinder Singh Tanwar, felt that dependence on the law may not always be the best solution. He recounted a case of sexual harassment in Naraina in West Delhi: "A boy of 21 years was stalking a schoolgirl. I got together with some locals and we took him to a barber and asked him to tonsure the boy's head and shave off his eyebrows."

Geetika Sharma, Joint Director in-charge of Women Empowerment Cell, Delhi Government, explained the relevance of such gender training exercises: "We want women to be able to step out of their homes and use public transport without fear. Every bus should have a complaints box and the driver and conductor should have the social authority to teach a lesson to those who harass women commuters."

According to A.K. Srivastava, Senior Manager, Personnel and Training, DTC, over 3,600 DTC drivers and conductors had benefited from participating in an

awareness building and gender sensitisation programme in 2007. "This time around, these 50 instructors will pass on the knowledge and wisdom they get from such training to 9,563 regular conductors, including 30 women conductors, and 9,536 drivers. They will do this through depot visits and refresher courses," he said. He believed that such efforts will motivate drivers and conductors to make quick and effective decisions in case they are confronted with a situation where a woman passenger is being sexually harassed.

The DTC has a fleet strength of 4,500 buses. According to Srivastava, the Corporation is thinking of providing mobile phones to the 1,000 drivers on duty during the Commonwealth Games. This would also aid them in seeking police help promptly, should it be needed.

If such interventions help make women like Anuradha and Sakshi feel more secure in the city, and encourage bus conductors and drivers to swiftly assess situations of harassment and respond effectively, they would have served their purpose. Delhi, besides being the capital of the country, has emerged as its crime capital as well. This dismal reality needs to be changed urgently.

(© Women's Feature Service)

सार्वजनिक जगहों पर होने वाले यौन उत्पीड़न पर चर्चा

दिप्ती मेहरोत्रा

रास्तों, बसों और सार्वजनिक जगहों पर औरतें जिस यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं वो उसके मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण है। औरतें हर दिन अपने जीवन में जिसका इनका सामना करती हैं जो उनकी गतिशीलता के मौलिक अधिकार पर जानबूझकर और नियमित रूप से किया जाने वाला हमला है। औरतों और दलितों पर होने वाले दमन में समानता है, औरतों की तरह ही दलित भी अपने जीवन में लगातार अपमानित और अमर्यादित होते हैं। पारम्परिक तौर पर औरतों और दलितों को एक ही समूह का हिस्सा माना गया है, दोनों के ही स्वतंत्र गतिशीलता और व्यक्तिगत गरिमा के अधिकारों का हनन किया गया है। यहां पर हम कुछ खास समस्याओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में यात्रा करने के दौरान औरतें जिन मुश्किलों का सामना करती हैं और यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की भूमिका क्या है।

एक बस डाईवर बिना इस बात की परवाह किए कि एक औरत बस स्टाप पर बस का इंतजार करती है, बस को तेजी से भगाकर ले जाता है, ऑटो रिक्शावाला बिना दुगना किराया लिए जाने को तैयार नहीं होता, डी टी सी बस में पुरूष औरतों को छेड़ते हैं, उनके कंधों को धक्का मार कर आगे बढ़ते हैं, फुटपाथ पर औरत चल रही हो तो साईकिल वाला उसपर अश्लील फब्तियॉ कसता है, पुलिस वाला उसे आंखें मारता है, अंधेरे में चलते उसे डर लगता है, **ये औरत के हर रोज़ के अनुभव हैं**।

औरत को असुविधा होती है, प्रतिकूल परिस्थियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सारे निजी वाहन पुरूषों के होते हैं और सारे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पुरूषों द्वारा चलाये जाते हैं। औरत पुरूष पुलिस अधिकारी के पास जाती है जो कभी ही उससे सहानुभूति रखते हैं, प्रायः तो परेशान ही करते हैं। माहौल ऐसा बना होता है जो किसी भी पुरूष को एक औरत के साथ हिंसा करने, परेशान करने, अपमानित करने के लिए बढ़ावा देता है। तनाव की स्थिति में जीना औरत की मजबूरी बन जाती है, 'दिल्ली में मैं जब भी बाहर निकलती हूं' बहुत सी औरतों को ऐसी हालात में जीना पड़ता है। आसपास के लोगों के रवैये से उसकी समस्या और भी जटिल हो जाती है।

सरकारी नौकर (जैसे पुलिस इत्यादि) औरतों के साथ होने वाले उत्पीड़न से उदासीन रहते हैं जिससे अक्सर अपराध को बढ़ावा मिलता है। बहुत सी औरतें अपने अनुभव बताती हैं कि बस में कुछ आवारा लोग चढ़ जाते हैं (जैसा कि कुछ दिन पहले एक कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ) और लड़कियों पर हमला करते हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब लड़कियां बस रोकने को कहती हैं तो कंडक्टर अनदेखा करते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगता है। जब औरतें अपने अधिकार या आरक्षित सीट की मांग करती हैं तो कंडक्टर उस सीट पर बैठे आदमी को उठाने में सहयोग नहीं देते। पुलिस का रवैया भी कुछ ऐसा ही है।

चार छात्राओं ने अपने अनुभव बांटे कि कैसे होली के तीन दिन पहले पुलिस, जो कि लड़कों के गुंडागर्दी और हुड़दंग से निपटने के लिए तैनात की गई थी, औरतों पर पानी के गुब्बारे फेंके जाने और उन्हें परेशान करने की घटना को अनदेखा किया। एक अन्य महिला ने बांटा कि भीड़भाड़ बस में एक अजनबी पुरूष ने जब उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसे चिकोटी काटी तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस चुपचाप बैठी रही। जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस का कहना था 'बेटी जाने दो'। कोई भी औरत हो, जाहे गरीब या अमीर, जवान या बुजुर्ग कहती है 'कभी कभी इतनी दुखी हो जाती हूं कि घर जाकर परिवार वालों को बताती हूं और रोती हूं।' अक्सर घर में भी इसी वज़ह से औरत की आजादी पर पाबन्दी लगाई जाती है, 'वो कहते हैं बाहर मत जाओ, उन्हें चिन्ता हो जाती है तनाव में आ जाते हैं और उल्टे मुझपर ही चिल्लाते हैं, मुझे घर में बन्द करने के लिए जो कर सकते हैं करते हैं।'

घर में बंद रहना यौन उत्पीड़न की समस्या का समाधान नहीं है। औरत बाहर निकलती है और इसका परिणाम भी भुगतती है और ऐसा करने के लिए बहुत सी औरतें अपनी सुरक्षा के तरीके और उपाय ढूंढ लेती हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन तरीकों में प्रशासन से मदद लेना कभी कभार ही शामिल होता है क्योंकि ये अपना भरोसा खो चुके हैं।

जो औरतें लड़ाई लड़ रही हैं उन्हें लगता है कि शासन को सक्रिय करने की ज़रूरत है। यह ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए औरतें इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उसकी कमियों को दूर किया जाए।

कानून क्या कहता है?

धारा 350–क्रिमिनल फोर्स–जो कोई भी किसी के ऊपर जानबूझकर उसकी मर्जी के खिलाफ़ उसे किसी तरह का नुकसान या चोट पंहुचाने के इरादे से या जानते हुए कि उसकी हरकत किसी तरह का चोट, भय, या परेशानी पंहुचा सकती है, दबाव डाले, उसे क्रिमिनल फोर्स का किसी पर इस्तेमाल कहते हैं।

धारा 351–आक्रमण–जो कोई भी किसी तरह की भंगिमा बनाता है, या कोई हरकत करे या इरादा रखे जिससे यह समझ बने कि भंगिमा बनाने वाला व्यक्ति किसी तरह का घातक हमला कर सकता है, उसे इस धारा के तहत आक्रमण कहते हैं।

धारा 354–आक्रमण या औरत के शीलभंग करने के इरादे से अपराधिक दबाव डालना – साबित हो जाने पर 2 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों ही।

धारा 509–शब्द, हाव भाव या औरत के शीलभंग करने या उसका अपमान के इरादे से की गई हरकत – जो कोई भी औरत की शीलता का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द उच्चारित करता है, आवाज़ निकालता है, भाव भंगिमा बनाता है, कोई वस्तु

दिखाता है, इस इरादे से कि वह शब्द सुनाई दे जाए या आवाज़ सुनाई दे जाए या भंगिमा या वस्तु औरत को दिखाई दे जाए जिससे औरत की प्राईवेसी (गोपनीयता) का उल्लंघन करता है, उसे इस धारा के तहत एक साल की साधारण सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इसके अलावा अपराध का विवरण देने और उसे वर्गीकृत करने के दिल्ली पुलिस एक्ट के अलग तरीके हैं। **दिल्ली पुलिस एक्ट** की प्रांसगिक धारायें हैं–

धारा 91 – सार्वजनिक जगहों पर अभद्र बर्ताव करना – कोई भी व्यक्ति अभद्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकता ऐसी जगह पर जो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की जा रही हो, या ऐसे स्थान पर जहां से सर्वसाधारण द्वारा उसका यह अभद्र व्यवहार दिखाई दे या गाली गलौज़ या अश्लील शब्द कहे जो सार्वजनिक स्थानों या घरों में सुनाई दे या फिर दंगा करे किसी रिहायशी स्थान पर, कार्यालय परिसर में या पुलिस थाने में।

धारा 92 – रास्ते में रूकावट करना या सड़क पर राहगीरों को तंग करना – कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान या सड़क पर धक्का देना, दबाना या तंग करना तथा रूकावट नहीं पैदा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार, अभद्र इशारे जानबूझकर व्यक्ति विशेष को परेशान, चीखना चिल्लाना, जानबूझकर घोड़ों को डराना या अन्य जानवरों को भड़का कर सार्वजनिक स्थान पर भड़काना है तथा शान्ति भंग करता है।

धारा 93 – शान्ति भंग करने हेतु अभद्र व्यवहार करना – कोई भी व्यक्ति किसी सड़क या सार्वजनिक या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग जिससे शान्ति भंग होने का भय हो या हो सकती हो नहीं कर सकता।

धारा 97 – धारा 80 से 96 तक के लिए दंड – यदि कोई भी व्यक्ति धारा 80 से 96 तक के अर्न्तगत दोषी पाया जाता है तो उसे 100 रूपये का जुमार्ना और ऐसा न करने पर 2 दिन से अधिक की साधारण जेल हो सकती है।

तब कुछ हद तक कानून ने औरतों के स्वतन्त्रता से गतिशीलता के अधिकार को पहचाना लेकिन विभिन्न अधिकारी या कानून तंत्र जैसे पुलिस, कहां तक इन अधिकारों की रक्षा कर पा रही है?

पुलिस क्या करती है?

पुलिस गर्व करती है कि उन्होंने शालीनता अभियानों के दौरान शहर के विभिन्न भागों से सैकड़ों 'छेड़खानी करने वालों' को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत पुलिस इन धाराओं का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ़ करती है। फिर भी पुलिस कई बार निर्दोष पुरूषों को पकड़ लेती है जैसा कि होली के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल में

हुआ, जबकि दोषी लोग अधिकतर भाग जाते हैं। किसी खास अवसरों, त्योहारों पर पुलिस की चौकसी बढ़ जाती है जैसा कि हाल ही में हुआ जब औरतों को हॉस्टल के गेट के बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जाता। प्रिंसिपल को मध्यस्थता करनी पड़ी और कहना पड़ा कि थोड़ी कम चौकसी रखें। और बेशक कभी कभी यह भी होता है कि जो पुलिस कैम्पस में सुरक्षा के लिए तैनात की गई होती है वही अप्रत्यक्ष रूप से छेड़खानी करती है।

ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि औरतों को जो कि यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, छेड़खानी करने वालों को पहचानने के लिए उत्साहित करना चाहिए। लेकिन औरतों को पुलिस से सही घटना बयान करने से रोका और निरूत्साहित किया जाता है। परिवार वाले भी अक्सर एफ आई आर दर्ज करने से रोकते हैं। पुलिस की नकारात्मक छवि भी इसमें इज़ाफा करती है।

पुलिस स्टेशन भी ऐसी जगह नहीं है जहां अधिकतर औरतें जाना और केस दर्ज करवाना चाहती हों और ऐसा करने के लिए औरतों में विश्वास पैदा करने का प्रयास भी नहीं किया जाता। महिला पुलिस को छेड़खानी से निपटने की ड्यूटी में तैनात नहीं किया जाता। पुलिस फोर्स में भी अन्य जगहों की जगह जेंडर भेदभाव का रवैया देखा जाता है। रोशनआरा थाने की एस. एच. ओ. ने कुछ छात्राओं से कहा कि 'महिला पुलिस कर्मी भी पुरूष पुलिस कर्मी के जैसे ही क्षमता रखती है'। पिछले कुछ सालों में पुरूष पुलिस की तुलना में महिला पुलिस की भर्ती के अनुपात में गिरावट आई है। प्रायः पुरूष पुलिस की भर्ती हुई है।

औरतें अगर कानून और अन्य प्रशासनिक तंत्रों द्वारा सहयोग व सुधार चाहती है तो हर केस को दर्ज करवा के ऐसा कर सकती है। कुछ उदाहरणों से रास्ता मिल सकता है। मई 1982 में दिल्ली के 503 नम्बर बस में सात आरतों का एक समूह यात्रा कर रही थीं, उसमें से दो आरतों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई इसलिए बस को पास के पुलिस स्टेशन ले गईं। अगर कोई यात्री चाहे तो कानूनन डाईवर को सार्वजनिक टार्स्पोट को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, बिन रास्ते में रोके। पुलिस स्टेशन में दोनों पीड़ितों ने एफ. आई. आर. दर्ज किया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि दरियागंज पुलिस थाने से कुछ समय से ऐसे ही दो अपराधियों को बंद रखा गया था और मैजिस्टेट ने उनपर सौ–सौ रूप्ये का फाईन भी किया था। जिन्हें ऐसा लगे कि यह सजा बहुत कम है तो दरियागंज पुलिस ने यह भी कह दिया कि 'अगर आप चाहें तो अपराधी को पहले चप्पल से मार लें फिर उन्हें हमारे पास लावें'।

इसी तरह इन्द्रप्रस्थ कॉलेज में जहां तीन छात्राओं के साथ सत्यवती कॉलेज के छात्रों ने छेड़खानी की थी, इन्द्रप्रस्थ कॉलेज ने मामले को उठाया। कॅमेटी और छात्रों के दबाव के कारण पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और सजा दी।

डी टी सी के बारे में क्या?

डी टी सी के बारे में भी कुछ ऐसी ही सोच उभरती है। यदि डी टी सी के किसी कर्मी द्वारा उत्पीड़न की गई हो तो इसकी रिर्पोट डी टी सी के हेडक्वाटर आई टी ओ और साथ ही जिस डिपो से बस बनकर चलती है और खत्म होती है वहां की जानी चाहिए। डी टी सी का कहना है कि वो छेड़खानी जैसी समस्या के प्रति लगातार जागरूक हैं लेकिन इसपर रोक नहीं लगा पाते क्योंकि औरतें खुद ही डी टी सी में केस दर्ज करने की इच्छुक नहीं होतीं। साथ ही उत्पीड़न की घटनाओं का जो भी माध्यम मिल सके उसके द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। खास करके यह भी ज़रूरी है कि सकारात्मक से निपटे गए मामलों के बारे में औरतों को जानकारी मिले ताकि वो उत्पीड़न का विरोध करने के प्रयास के लिए उत्साहित हो सकें। चूंकि डी टी सी एक संस्था है जो कि सस्ती व सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, इसलिए ज़रूरी है कि बसों में औरतों के सुरक्षित यात्रा के अधिकार का समर्थन किया जाए। इसके लिए डी टी सी के साथ निम्न कुछ मुद्दे उठाए जाने चाहिए।

कुछ मुद्दे जिन्हें उठाया जाना चाहिए

सिर्फ औरतों के यात्रा के लिए इतनी कम बसें क्यों है? यह कोई 'अलग होने' की मांग नहीं है बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना किसी पुरूष द्वारा धक्कामुक्की, छुए जाना या छेड़छाड़ के बिना यात्रा करने की एक ज़रूरत है।

औरतों के लिए आरक्षित सीट उनके अधिकार हैं न कि उनपर कोई एहसान। जब तक स्थिति में सुधार नहीं आता यह उनका अधिकार है। औरतों को कंडक्टर से सहयोग लेना चाहिए। अगर वो ऐसा न करें तो शिकायत पुस्तिका मांगकर उसमें बस नम्बर, समय और तारीख लिखकर डी टी सी के जनरल मैनेजर को भेजना चाहिए। इसपर आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए।

डी टी सी, आम जनता को दी जाने वाली सेवा की जानकारी देने से क्यों टालमटोल करती और डरती है? कितने ही फोन कॉल, चिट्ठियों के बावजूद भी अफ़सर अपने कर्मी, बस नम्बर रूट आदि की जानकारी देने से मना करते हैं।

दिल्ली में ऐसे हालात नहीं हैं कि औरतें अपने सम्मान और गरिमा को बनाये रखते हुए स्वतंत्रता से अपने गतिशीलता के अधिकार का उपयोग कर सकें। छोटे शहरों में स्थिति और भी गंभीर है, घर बाहर दोनों ही जगह औरतों पर और अधिक रोकटोक लगाई जाती है (औरतों को अकेले निकलने की अनुमति नहीं होती)।

स्पष्टतौर पर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक करण हैं जो इस तरह के व्यवहार और दमन के लिए ज़िम्मेदार हैं। और भी दूसरे कुछ मौजूदा कारण हैं जो तात्कालिक कारण है वो कई बार अपर्याप्त और उदासीन होते हैं जब औरतें शोषित और अपमानित

होती हैं। अधिकारी और कानून हमेशा मददगार नहीं होते बल्कि उल्टे अपराधियों और गुंडों को आश्रय व बढ़ावा देते हैं। इन सबसे सर्वोपरि है कि औरतें स्वंय अपने अधिकारों के लिए लड़े, इक्ट्ठी होकर लड़ें, दूसरी औरतें जो चुप रह कर अपमान सहती हैं उन्हें जागरूक करें और अपने अधिकार पाने के नए तरीके निकालें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गुंडागर्दी, उत्पीड़न और अधिकारियों की उदासीनता के कारण स्थिति और बिगड़ती जाती है। ऐसे में औरतों के संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के मामले बढ़ रहे हैं।

दिल्ली में अधिक से अधिक औरतें अकेली और सामूहिक तौर पर अपने कार्यस्थल, शिक्षण संस्थानों, डी टी सी के साथ पुलिस स्टेशन पर या कोर्ट में या मीडिया द्वारा जनता को जानकारी देने के लिए, अपने केस दर्ज करवाने को आगे आ रही हैं। औरतें अपनी सुरक्षा के लिए पिन, कैंची, छाता, कोहनी, पैरों या अपनी आवाज़ जैसे प्रभावपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।

औरतों के एकदूसरे की सहायता करने के कुछ और भी उदाहरण हैं। 1981 में महारानी बाग पॉलिटेकनिक की औरतें रास्ता रोको अभियान के लिए स्वंय को संगठित कीं ताकि कैम्पस के अंदर और बाहर होने वाली गुंडागर्दी की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर सकें। इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने संगठित हो एक व्यापक छेड़खानी प्रदर्शन की शुरूआत की। पिछले साल होली के दौरान जब छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उनका अपमान किया गया तब दिल्ली युनिर्वसिटी अथारटी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की उदासीनता तथा गैरसहयोगी रवैये से गुस्सा होकर औरतों ने एक मीटिंग बुलाई और कई कॉलेजों में चौकसी समूह बनाया। पिछले महीने जब एक कॉलेज की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई, एक बहुत ही बड़े अभियान की शुरूआत की गई जिसमें पुरूष और महिला दोनों ने ही बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई।

स्रोत :
http://translate.google.co.in/translate?hl=hi&sl=en&u=http://www.pucl.org/from-archives/Gender/harassment.htm&ei=GMcETOzALdS9rAfdlIHeAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CBgQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dsexual%2Bharrassement%2Bat%2Bpublic%2Bplace%26hl%3Dhi
अनुवादित व प्रस्तुति :
जागोरी महिला संदर्भ केन्द्र, नई दिल्ली

यौन उत्पीड़न की गंभीरता

यौन उत्पीड़न, प्रतिदिन होने वाली हिंसा का एक रूप है। औरतें अक्सर सार्वजनिक जगहों जैसे ट्रेनों बसों में सफ़र करते, बाजार जैसे भीड़ वाले स्थानों पर, रास्तों में, कॉलेजों और अपने दफ्तर जैसी जगहों में यौन हिंसा का शिकार होती हैं। हर औरत अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है। अधिकतर औरतें इन घटनाओं को अनदेखा कर देती हैं मगर इन हिंसाओं का मानसिक रूप से उनपर गहरा असर पड़ता है। बहुत सी युवा औरतें अपने जीवन में जल्दी ही अनचाहे स्पर्श, टटोलने, कोहनी मारने आदि जैसी हरकतों को नज़रअंदाज करना सीख जाती हैं या अपने आनेजाने का रास्ता बदल लेती हैं ताकि सीटी बजाने या कामुक फब्तियों से बच सकें। अगर किसी औरत के साथ ऐसा न भी हुआ हो तो भी पूरा जीवन उसे इस भय के साथ जीना पड़ता है कि कभी भी उसके साथ यौन हिंसा हो सकती है। औरतें अंधेरे में अकेले बाहर निकलने या ऐसा कैरियर चुनने से कतराती हैं जिसमें बहुत ट्रैवेल करना पड़े। ये कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाता है क्योंकि बार–बार औरतों को अपने गुस्से और अपमान को दबाना पड़ता है।

फिर भी समाज यौन उत्पीड़न को रोजमर्रा की ज़िन्दगी में घटने वाली छोटी मोटी घटनाओं की तरह ही देखता है। ज्यादातर औरतें इसे अनदेखा करना सीख लेती हैं। जो औरतें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना या कार्यवाही करना चाहती हैं उन्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए परेशान या फटकारा जाता है। पहले तो तुम वहां क्यों गई? ठीक ढ़ंग से कपड़े क्यों नहीं पहनी थी? इस तरह के सामाजिक रवैये के आगे औरतें असहाय व अकेला महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि न्याय नहीं मिलने वाला है तो क्यों न अनदेखा किया जाए। यौन उत्पीड़न के बारे में एक छात्रा की समझ कुछ ऐसी रहती है कि 'ऐसा हो सकता है कि मुझे कानूनी परिभाषा न मालूम हो मगर हम सब एक निष्कपट व छेड़छाड़ के स्पर्श में फर्क कर सकते हैं लेकिन मौखिक फब्तियों का आप क्या करें। लड़के हमेशा इसे मजाक कह कर ढ़क देते हैं और दूसरे इनका सहयोग करते हैं, कहते हैं मजा किरकिरा न करो।'

यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यौन उत्पीड़न और मजाक, खिंचाई, शरारतों के बीच फर्क किया जाए। मजाक और छेड़छाड़ या किसी तरह की प्रशंसा एक आदमी और औरत के बीच पारस्पिरिक होता है। अगर एक आदमी किसी औरत को अच्छे कपड़े पहने देख सीटी बजाता है, इसे हम प्रशंसा कि तरह देखते हैं बदले में औरत अपने को सराहे जाने से अच्छा महसूस करती है। परंतु यही हरकत यदि किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए की गई हो तो वह मजाक नहीं बल्कि यौन हिंसा है। शरारत एक तरह से दूसरे व्यक्ति में रूचि दिखाना तथा यौन आकर्षण की शुरूआत बताने का एक तरीका है। अगर शरारत पारस्परिक है या दोनों को ही अच्छा लगता है तो ये बताता है कि दो लोग एकदूसरे में रूचि रखते हैं लेकिन अगर ये एकतरफा है तो यह एक तरह की जोर जबरदस्ती है।

सत्ता का दुरूपयोग

यदि हमें उन सभी जगहों का विश्लेषण करना हो जहां यौन उत्पीड़न होते हैं उनमें एकसमानता मिलेगी, शोध के अनुभव व आंकड़े बताते है कि यौन हिंसा ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है जहां पुरूषों के लिए भीड़भाड़ में ऐसा कर पाना ज्यादा आसान होता है। या फिर दफ्तर में जहां पुरूष बॉस होते हैं या अधिक संख्या में पुरूष काम करते हैं। या रास्तों में होता है जंहा लड़कों के समूह आती जाती औरतों व लड़कियों को शिकार बनाते हैं। या कॉलेजों में लेक्चरर या प्रिंसपल के हाथ जहां छात्रों को ग्रेडिग देने की सत्ता होती है या पुरूष सहकर्मी या छात्र जो जानते हैं कि औरत सामाजिक अपमान की डर से आवाज नहीं उठायेगी।

शोषक या पुरूष के हाथों में किसी न किसी तरह की सत्ता होती है। पूरे समाज की यही कहानी है। शादी और परिवार तथा अन्य सभी सामाजिक संस्थाओं में पुरूषों के हाथ में औरतों पर नियंत्रण व सत्ता दोनों ही होती है। जिनके हाथ में सत्ता हो वही हिंसा कर सकते हैं और सत्ताहीनों पर हिंसा का डर भी कायम करते हैं। सत्ता का दुरूपयोग ही यौन उत्पीड़न, बलात्कार व घरेलू हिंसा का आधार है। हिंसा का असर मानसिक रूप से भी पड़ता है जैसे औरतों के खिलाफ़ गैरबराबरी, शिक्षा, घूमने फिरने की आजादी, संसाधनों, पैतृक संपत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित करना।

यौन उत्पीड़न – औरतों के खिलाफ़ हिंसा

यौन उत्पीड़न व्यापक हिंसा का एक हिस्सा है। यदि हम अलग अलग हिंसा की सूची बनायें तो यह देखकर हैरत होगी कि प्रायः सभी प्रकार की हिंसा औरतों के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। जन्म से मृत्यु तक औरतें लगातार किसी न किसी तरह की हिंसा का शिकार होती हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या या अवहेलना (पुरूषों की तुलना में औरतों का गिरता अनुपात), सामाजिक भेदभाव (लड़कियों की शिक्षा, पोषण, आर्थिक संसाधनों, चुनाव व गतिशीलता में कमी) राजनैतिक गैरबराबरी (चुनाव की राजनीति से महिलाओं को बाहर रखना) और युद्ध और दंगों के समय होने वाली हिंसा।

यौन उत्पीड़न की तरह अन्य हिंसा को भी नज़रअंदाज किया या दबाया जाता है या फिर औरत को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा यदि लें तो उसे यह कहकर नकारा जाता है कि औरत ने ही कुछ किया होगा। बलात्कार को यह कहकर न्यायसंगत बताया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि वह देर रात तक बाहर थी या कहा जाता है कि अगर औरत ठीक ढ़ंग से कपड़े पहने होती तो उसके साथ यौन हिंसा न होती। समाज जिसमें स्वंय औरतें भी शामिल होती हैं, ने हिंसा को आत्मसात कर लिया है इसलिए हम केवल जघन्य हिंसा जैसे बलात्कार, दहेज हत्या या मारपीट को ही हिंसा मानते हैं लेकिन हर रोज़ होने वाली हिंसा को हिंसा नहीं मानते जो औरतें अपने जीवन की हर अवस्था में झेलती हैं।

औरतें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीतियां बनाती हैं जैसे अपने आने जाने का रास्ता बदल लेना, दोस्तों के समूह में रहना या भाई या दोस्त से मदद लेना। इस तरह की हिंसा का असर उनके आत्मविश्वास, काबलियत और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है।

स्रोत :
अनवांटेड अटेंशन, सेक्शुअल हैरेसमेंट इन कॉलेज इन मुम्बई, हैन्डबुक, अक्षरा, महिला संदर्भ केन्द्र, मुम्बई
अनुवाद : जागोरी महिला संदर्भ केन्द्र, नई दिल्ली

एक ऐतिहासिक फैसला – सुप्रीम कोर्ट मार्गदर्शिका (गाईडलाइन) में हिंसा का फोकस अपराधिक गतिविधि से बदलकर औरतों के खिलाफ़ होने वाले ढांचागत भेदभाव की ओर किया गया है

महिला आंदोलन को अगस्त 1997 को उस समय जीत हासिल हुई जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा के लिए मार्गदर्शिका बनाई जिसमें मालिक या संस्थाओं को यौन हिंसा के रोकथाम और बचाव के लिए कदम उठाने के लिए ज़िम्मेदार बताया। कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका के संदर्भ में दिया जो (विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य) सामाजिक कार्यकर्ता और स्वंयसेवी संस्था द्वारा राजस्थान के गांव की एक सरकारी संस्था के एक कार्यकर्ता के साथ सामुहिक बलात्कार की घटना घटी थी।

1992 में साथिन या विकास कार्यकर्ता गांव में चलाये गए बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ़ चलाई जा रही एक अभियान की हिस्सा थीं। उसने अपने काम के दौरान बार बार यौन हिंसा झेला और ऊंची जाति के पुरूषों ने उसे सबक सिखाने के लिए सामुहिक बलात्कार किया। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी साथिन को कोई सहयोग न मिला बल्कि वहां की प्रशासन व्यवस्था पुलिस के साथ मिलकर अपराध को छिपाने की कोशिश करती रही और साथिन को ही इस घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

कोर्ट ने इस घटना को अलग तरह से लिया। यह मालिक (यहां पर राजस्थान सरकार) की तरफ से एक गंभीर चूक थी। कोर्ट ने इस पक्ष को सामने रखा कि साथिन को 'सुरक्षित काम करने का माहौल' नहीं प्रदान कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कार्यस्थल (संगठित या असंगठित) कार्यस्थलों पर औरतों द्वारा लगातार झेली जाने वाली यौन हिंसा को समझा और स्वीकार किया।

व्यापक क्षेत्र

यह फैसला बहुत ही प्रेरक है क्योंकि इतिहास में पहली बार कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा 'बार बार होने वाली घटना' है। यह पहली कानूनी स्वीकृति है जिसमें औरतों के उनके यौनिकता के लिए यौन आक्रामक व्यवहार के प्रति अधिक दुर्बल बताया है। यह फैसला तर्क देता है कि उल्लंघन को मानव अधिकार कानून के तहत लेना चाहिए। यौन हिंसा को जेंडर आधारित भेदभाव मानते हुए कोर्ट ने मानव अधिकार की समझ की मौजूदा व्याख्या को विस्तृत किया जो कि कैदियों, युद्ध के कैदियों या आत्याचार पीड़ितों तक ही सीमित है।

बेजोड़ मार्गदर्शिका

- हिंसा का केन्द्रबिन्दु एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधिक गतिविधि से बदलकर ढांचागत भेदभाव पूर्ण आचरण बताया है जिसे मानसिकता में बदलाव लाकर दूर करने की ज़रूरत है।
- पहली बार कानून ने स्वीकारा है कि यौन हिंसा मानव अधिकारों का उल्लंघन है।
- यौन हिंसा को विशेष तरह से परिभाषित किया गया है। पहले के कानूनों में बहुत ही जटील व्याख्या है जो कि सीमित और अपर्याप्त भी है।
- यह संस्थाओं मालिकों की ज़िम्मेदारी है कि वो शिकायत समीति बनाकर और सुधार मानदंड अनिवार्य करके कार्यस्थल के माहौल को सुरक्षित व स्वस्थ्य बनायें।
- यौन हिंसा के खिलाफ़ रोकथाम के तरीकों पर जोर डाला गया है।
- मार्गदर्शिका कानूनी है और अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

किस पर लागू होते हैं

- महिला कर्मियों चाहे वो किसी भी पद पर हों और उनकी कमाई का जो भी स्वरूप हो जैसे कि वो वेतन पाती हों या उन्हें मानदेय मिलता हो या अपनी इच्छानुसार काम करती हों।
- संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र, सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें जिनमें जैसे कि स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटी और अस्पताल आते हैं।
- सभी कार्यस्थल या दूसरी संस्थाओं पर यह मार्गदर्शिका लागू होगी जब तक संबन्धित कानून एक्ट के रूप में पारित न हो जाए।

कार्यस्थल केवल दफ्तर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि उन सभी जगहों तक फैला है जहां काम का संबंध मौजूद हो।

मानव अधिकारों का उल्लंघन

मानव अधिकार का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने 1979 के औरतों के खिलाफ़ सीडा (इन्टरनेशनल कॅन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ आल फार्मस ऑफ डिसक्रिमिनेशन) जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया है, के भाव पर चिन्तन कर रही थी। हिंसा पर यह सुझाव इस बात पर जोर देता है कि जेंडर आधारित हिंसा 'भेदभाव का एक रूप है जो गंभीर रूप से औरतों को पुरूषों की बराबरी की तुलना में अपने अधिकारों और आजादी के रास्ते में बाधक है।' यौन हिंसा भी जेंडर भेदभाव की एक ऐसी ही अभिव्यक्ति है। यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिकूल माहौल बनाता है और औरतों की नौकरी और तरक्की के बराबरी के अवसर को क्षति पंहुचाता है।

दायित्व का बदलना

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा कानून में कार्यस्थल पर औरतों के साथ होने वाले यौन हिंसा के खिलाफ़ उपयुक्त सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया था, कोर्ट ने हिंसा का केन्द्र एक अपराधी से हटाकर ढ़ाचागत भेदभावपूर्ण रवैये पर लागू किया। मैनेजमेंट या मालिक को सुरक्षित और स्वस्थ्य माहौल प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। परिसर में यौन हिंसा की रोकथाम के लिए उठाये गए कदमों में, कोर्ट का सुंझाव है कि यह मालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो मैनेजमेंट और कर्मियों दोनों को इस समस्या के प्रति जागरूक करने की उपयुक्त प्रणाली प्रदान करें और शिकायत दर्ज किए गए केस के लिए सुधार मानदण्ड स्थापित करे।

ऐसा करके कोर्ट ने औरतों के खिलाफ़ होने वाली हिंसा की रोकथाम और उन्हें दूर करने के लिए समाज के सामने ज़िम्मेदारी लेने के लिए एक आधार तैयार कर दिया। जैसे जैसे कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा एक 'हिंसा' है, के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और इसे एक ऐसी समस्या की तरह लिया जायेगा जो महिला कर्मियों के साथ भेदभाव करता है, यह मार्गदर्शिका संस्थाओं में मालिकों और कर्मियों और ट्रेड युनियन को ज़िम्मेदारी लेने का अवसर प्रदान करेगी। कार्यस्थल पर यौन हिंसा, एक औरत के खिलाफ़ आपराधिक आघात न रहकर सर्वव्यापी भेदभावपूर्ण आचरण बन जाता है। और यह संस्था के मालिक की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वह कार्यस्थल के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे जनवरी 2000 के हाई कोर्ट के एक जनहित याचिका में कोर्ट ने भारतीय रेलवे को बांगलादेशी महिला यात्री को दस लाख रूपये का हर्जाना देने को कहा। हावड़ा स्टेशन के यात्री निवास में रेलवे कर्मियों द्वारा उस औरत के साथ सामुहिक बलात्कार किया गया था। कोर्ट ने रेलवे विभाग को यात्रियों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

पुराने कानून नये दृष्टिकोण

फौजदारी कानून न ही औरतों को सशक्त कर सकता है न ही लैगिंक व्यवहार को बदलने में बदल सकता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कानून यौन हिंसा के रोकथाम के लिए बने हैं वो सब पुराने फौजदारी कानून हैं और कानूनी एक्टिविस्ट और नारीवादियों ने इन कानून की धाराओं के यौन नैतिकता पर आधारित होने की आलोचना की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 औरतों के शील को भंग के उद्देश्य से किए जाने वाले हमले या आपराधिक दबाव के मुद्दे पर विचार करती है जबकि धारा 509 औरत के शील को अपमानित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए शब्द भंगिमा और हरकतों के मुद्दे से निपटती है।

कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि फौजदारी कानून से जुड़ी कई कमियॉ हैं :

- यौन हिंसा को व्यक्तिगत आघात की तरह लिया जाता है न कि व्यापक भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे की तरह।
- यौन हिंसा को औरत के शील भंग/अपमान को नैतिक संदर्भ में लेना बहुत ही घिसीपिटी समस्या की तरह देखना है न कि अधिकारों के हनन की तरह।
- कोर्ट में फौजदारी कानून की कार्यवाही एक औरत के लिए बहुत ही अपमानजनक और परेशान करने वाला है जो भविष्य में भी उसे परेशान करता रहता है।
- सबूत पर बहुत अधिक जोर देना 'शक की संभावना से परे'– मथुरा के बलात्कार के केस में कोर्ट ने कहा कि वो 'बहुत ही झूठी' है क्योंकि 'उसके बदन पर जख़्म के निशान नहीं थे'। जख़्म का न होना यह बताता है कि वो बलात्कार नहीं था बल्कि एक 'सहमतिपूर्ण मामला' था।
- अपराधी को सजा देना आपराधिक शिकायत का अंतिम परिणाम होता है, जो कि बहुत कम हो पाता है और औरतों के खिलाफ़ भेदभाव के व्यापक मुद्दे में बदलाव लाने में असरहीन है।

यौन हिंसा क्या है?

कोर्ट ने यौन हिंसा के अनेक रूपों को शामिल किया है जिसमें **अंवाछनीय**

☞ शारीरिक स्पर्श व इसका फायदा उठाना
☞ यौन संबधों की मांग करना
☞ अश्लील मजाक/फब्तियां कसना
☞ अश्लील चित्र दिखाना
☞ शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौनिक आचरण

यौन हिंसा की परिभाषा में मुख्य बात है अंवाछनीय। पीड़ित पर होने वाले हिंसक व्यवहारों के असर के आधार पर इस हिंसा को परिभाषित किया जायेगा : उत्पीड़न बहुत हद तक 'अनुभव' पर आधारित होता है।

क्वीट प्रो को (इसके बदले वो) :

इस तरह के यौन उत्पीड़न का चरित्र है – अधिक वेतन देने या तरक्की का वादा आदि देने के बदले यौन संबध की मांग करना। ऐसे हाल में औरत बहुत ही बुरी दशा में पंहुचा दी जाती है क्योंकि वो ऐसे मांग पूरे नहीं करती और उससे बदला लेने के लिए उसके काम के रिकार्ड को कमजोर बताया जाता है, उसको अवनति दी जाती है, उसके काम के माहौल को कठिन बनाया जाता है, यहां तक कि कई बार उसे काम से निकाल दिया जाता है।

प्रतिकूल काम का माहौल :

यह अदृश्य और चुपचाप तरीके से होने वाला यौन हिंसा का रूप है जो बहुत अधिक किया जाता है। इसके तहत आते हैं प्रतिकूल माहौल या कामगार महिला के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया जाना, जो कि उससे सहा नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर एक केस में पाया गया कि महिला कर्मी को उसके बॉस द्वारा सारे काम अपने सामने करने के आदेश दिए गए जबकि दूसरी महिला कर्मी के टाइपराईटर पर अश्लील संदेश चिपके मिले।

क्वीट प्रो को (इसके बदले वो) और कार्यस्थल पर **प्रतिकूल माहौल** दो अलग तरह की यौन हिंसा है, मगर पूरी तरह से एकदूसरे से अलग नहीं होते बल्कि एकदूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं।

क्या यह यौन हिंसा है

यदि आप स्पष्ट नहीं हैं कि अमुक व्यवहार यौन हिंसा है या नहीं तो निम्नलिखित सवाल पूछें :

- क्या यह आचरण यौनिक है ?
- क्या यह आचरण अवांछनीय है ?

मौखिक या अमौखिक कई तरह के आचरण जैसे कि जानबूझकर औरत के शारीर से रगड़ खाना/उसे छूना, उसपर झपटना से लेकर अश्लील चुटकुले और उसके शरीर के अंगों के बारे में टीका टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना आदि सभी यौनिक आचरण का हिस्सा है। अगर एक पुरूष किसी औरत के कंधे पर हाथ रखे या उसके कपड़ों के बारे में टिप्पणी करे या उसी के सामने अश्लील टिप्पणी करे तो यह यौन हिंसा है। यह समझना ज़रूरी है कि कोई आचरण यौन हिंसा है इस बात पर निर्भर नहीं है कि उत्पीड़क की मंशा क्या है, महत्वपूर्ण है कि कार्यस्थल का माहौल और औरत पर इस व्यवहार का क्या असर पड़ता है।

विश्व स्तर पर, कामगार औरतों के साथ होने वाली यौन हिंसा अब अदृश्य नहीं है। विशाखा केस एक उदाहरण है जो मांग करता है अवरोधों को हटा कर बराबरी की, बजाय इसके कि यौन हिंसा की शिकायत करने वाली औरतों पर किसी तरह का अत्याचार हो। मार्गदर्शिका को स्पष्टता से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा को भेदभाव के एक रूप की तरह लें और यौन हिंसा को मानव अधिकारों के संदर्भ में देखें।

स्रोत :
द पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस, संहिता, पश्चिम बंगाल
अनुवादित व प्रस्तुतिः जागोरी महिला संदर्भ केन्द्र, नई दिल्ली

सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम में पुरूषों का सहयोग

रास्तों, पार्क, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक जगहें सबके लिए सुरक्षित होने चाहिए। जबकि बहुत सारी औरतें इन जगहों पर उत्पीड़न झेलने को मजबूर होती हैं, इस समस्या की रोकथाम में पुरूष रोकथाम कर सकते हैं।

यौन उत्पीड़न के कुछ उदाहरण

'मुक्ता रास्ते पर जा रही थी, लड़कों का एक समूह उसपर कुछ फब्तियां कसता है–'हे कितनी सुन्दर दिखती हो!' 'दस में से नौ मार्क्स मिलना चाहिए' मुक्ता बिन कुछ कहे कुछ घबराई परेशान सी चुपचाप चलती है। फब्तियां और भी अश्लील होती जाती हैं।'

'मेरी बस पकड़ने के लिए कतार में खड़ी है। अचानक उसे महसूस होता कि कोई उसे छू रहा है, आस पास देखती है मगर समझ नहीं पाती कि किसने ऐसा किया। वह अपमानित महसूस करती है और हक्की बक्की रह जाती है।'

'नज़मा नोटिस करती है कि काम से घर लौटते समय एक पुरूष उसका पीछा करता है। वो उससे बहुत दूरी पर रहता है लेकिन बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वह उसके नज़दीक आ जाता है और उसे बुलाता है। वह डर जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है ताकि उससे छुटकारा मिल सके।'

ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम महिलाओं के खिलाफ़ यौन हिंसा कह सकते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि यह सार्वजनिक जगहों पर होता है जिन्हें बदकिस्मती से यौन उत्पीड़न नीतियों में गंभीरता से नहीं लिया जाता। सार्वजनिक हिंसा सार्वजनिक जगहों पर किया जाने वाला व्यवहार है जोकि अप्रिय और अनचाहा है।

अधिकतर सार्वजनिक जगहों पर किए गए उत्पीड़न पुरूषों द्वारा महिलाओं के साथ किया जाता है। औरतें भी ऐसा कर सकती हैं, दूसरे शिकार अलसंख्यक व विकलांग लोग भी हो सकते हैं या जो उदाहरण लिए गए हैं वो पुरूषों द्वारा औरतों पर किए जाने वाले हिंसा के उदाहरण हैं।

सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न जैसे फब्तियां कसना, स्पर्श करना और पीछा करना ये समस्यायें भले ही गंभीर न लगती हों मगर बहुत ही अपमानित और परेशान कर सकती हैं। कुछ पुरूष एहसास करते हैं कि यह समस्या बड़ी है क्योंकि वो खुद भी इस तरह की परेशानियों का शिकार कभी हो सकते हैं। हालांकि कई पुरूष यौन उत्पीड़न का विरोध करते हैं पंरन्तु फिर भी इसके होने वाले गंभीर असर को समझ नहीं पाते जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला है।

कुछ औरतों का तो एक दिन भी अप्रिय फब्तियों, उनका फोन नम्बर मांगा जाना, छूना उनपर झपटना आदि उत्पीड़नों का सामना किए बगैर नहीं बीतता। वो इन अप्रिय हिंसाओं का सामना किए बिन अपने काम तक नहीं पंहुत पातीं। कुछ औरतें इन उत्पीड़नों से बचने के लिए सार्वजनिक जगहों पर जाने से कतराती हैं। कुछ औरतें तो उत्पीड़न के भय के कारण अगोरा फोबिया (भीड़–भाड़ में जाने से डर) का शिकार हो जाती हैं।

उत्पीड़न का और भी गंभीर रूप है प्रहार व बलात्कार। कभी कभी एक सहज बात भी घातक हो जाती है। औरतों को डर होता है कि छोटी सी छेड़छाड़ आगे आने वाले किसी गंभीर हमले की तरफ पहला कदम न हो।

सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ़ दिए गए तर्क

- ✓ औरतों को भी पुरूषों की तरह अपने काम से बाहर जाने का हक है। सार्वजनिक जगहें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए होना चाहिए।
- ✓ पब्लिक उत्पीड़न का कुछ औरतों पर बहुत ही विपरीत और गंभीर असर पड़ता है।
- ✓ पब्लिक एड जो कि लोगों की सुविधा के लिए है, जब उत्पीड़न जैसी अप्रिय घटनायें होती हैं तो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते।
- ✓ अगर औरतें उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में चिन्तित होंगी तो वे हर किसी को शक की निगाह से देखेंगी और हो सकता है कि निर्दोष पुरूषों के साथ भी प्रतिकुल व्यवहार जैसा कोई अन्याय हो जाए।

पुरूष क्या कर सकते हैं

- **आप खुद भी यौन उत्पीड़न न करें। समस्या को जाने समझें ताकि आप संवेदनशील बन सकें। जागरूक हो सकें कि कौन सी बातें, हरकतें दूसरों को बुरी लग सकती हैं।**
- **उन पुरूषों का साथ न दें जो यौन उत्पीड़न करते हैं बल्कि इसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभायें।**

आप खुद ऐसा न करें

- ***पास से गुज़रती औरतों पर फब्तियां न कसें***

अगर एक औरत आपकी किसी टिप्पणी का उत्तर नहीं देती जो समझ जायें कि उसे अपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। यदि वह मुस्कुराती है या धन्यवाद कहती है तो हो सकता है अंदर से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो। वो इस डर से भी नम्र हो सकती है कि स्थिति और बिगड़ न जाए।

कुछ पुरूषों को लगता है कि औरतों पर फब्तियां कसना उनका अधिकार है। यह अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया, औरतें कुछ भी पहनें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की टिप्पणीयां करना ढिठाई और क्रूरता है।

- ***औरत का नाम या फोन नम्बर न पूछें***

बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति से उसका व्यक्तिगत विवरण पूछना उसके जीवन में हस्तक्षेप करना है। संवेदनशील पुरूष, औरतें के पहल करने का इंतज़ार करते हैं। अगर एक औरत मना कर दे तो दोबारा ऐसा करने की कोशिश न करें। ऐसे में लगातार जबरदस्ती करना हिंसा है।

- ***थप्पड़ मारना, चिकोटी काटना, झपटना या छूने जैसी हरकतें न करें***

कुछ पुरूष सोचते हैं कि एक औरत को यदि भीड़भाड़ में स्पर्श किया जाना उन्हें अच्छा लगता है, वे गलत सोचते हैं। यह अप्रिय और हस्तक्षेप करने वाली हरकतें हैं, औरत के लिए अपमानजनक होती हैं और कभी कभी बहुत घाटक हो सकती हैं।

- ***एक औरत का पीछा न करें***

यह एक बहुत ही गंभीर तरह का उत्पीड़न है।

उत्पीड़न का सहयोग न दें

- ***ऐसी हरकतों में भागीदारी न करें***

अगर आप लड़कों के समूह के साथ हैं और वो औरतों के बारे में जोर जोर से कुछ फब्तियां कसते हैं, आप ऐसी हरकतों का कैसे विरोध करें –

- ➲ आप स्वंय ऐसी फब्तियां न कसें
- ➲ दूसरों को ऐसा करने से हतोत्साहित करें, उदाहरण के लिए कहें 'छोड़ दो', 'उसे अच्छा नहीं लग रहा है', 'पीछे मत पड़ो' या और भी कुछ जो आपको ठीक लगे कह सकते हैं
- ➲ सही समय पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर आवाज़ उठायें

- ***अपना विरोध व्यक्त करें***

अगर आप किसी स्थिति में किसी औरत को उत्पीड़ित पाते हैं तो आप भी उसकी मदद कर सकतें हैं। अगर कोई उसे तंग कर रहा है तो आप जाकर पूछ सकते हैं 'क्या कोई आपको परेशान कर रहा है?' अगर एक औरत चिल्लाती है कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे 'जिसने भी ऐसा किया हो यह ठीक नहीं है'।

अगर आप पाते हैं कि किसी औरत के साथ मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं आप उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं (अगर वो

मना करती है तो छोड़ दें, आप भी उसके व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप कर उसे परेशान न करें।)

पुरूष होने के नाते दूसरे पुरूष का (जिसने हिंसा की है) विरोध करना बहुत ही नाजुक मामला होता है। सहयोग करना चाहिए मगर हीरो बनने की कोशिश न करें। औरत जो कि परेशान है वह भी आपकी आलोचना कर सकती है।

जटिलताएँ

अन्य लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो सकता है वो हैं –

- अल्पसंख्यक
- विकलांग
- समलैंगिक महिलायें
- समलैंगिक पुरूष

अलग स्थान पर अलग परिस्थितियों में पब्लिक व्यवहार से अलग अलग अपेक्षायें होती है। ऑस्ट्रेलिया के शहरों में दो अन्जान लोग रास्ते पर चलते एक दूसरे को देखते भी नहीं। यह वहां का ढर्रा है कि दूसरे व्यक्ति को तभी देखते हैं जब वो दूरी पर हो, जब पास आ जाए तो नज़रें नीची कर लेते हैं और जब पास से गुज़र रहे हों तो दूर देखने लगते हैं। हमारे देश में इसे अमित्रतापूर्ण व्यवहार भी माना जा सकता है।

जब भिन्न भिन्न संस्कृति के अलग अलग समूह आपस में बातचीत करते हैं तो गलतफ़हमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी संस्कृति में घूरना नम्र माना जा सकता है तो कहीं आपत्तिजनक।

दूसरी जटिलता है कि कुछ औरतें भीड़भाड़ को पुरूषों से मिलने के तरीके की तरह इस्तेमाल करती हैं जैसे कि किसी पुरूष से मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से समय पूछती हैं। यह कुछ पुरूषों को गलत संदेश भेजता है, उन्हें लगता है कि कोई भी औरत जो उनसे समय पूछती है उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहती है।

वास्तविकता यह है कि औरतों की तुलना में पुरूषों के साथ बहुत कम उत्पीड़न की घटनायें होती हैं। इसलिए एक संवेदनशील पुरूष को मानकर चलना चाहिए कि जबतक कि औरतों की तरफ से किसी सहमति का ठोस प्रमाण न मिले, औरतें उनसे दूर रहना चाहती हैं। अगर कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं–क्या वो 'नहीं' या 'जाओ' कहती है, वैसा ही करें जैसा वो कहे।

स्रोतः
http://translate.google.co.in/translate?hl=hi&sl=en&u=http://www.bmartin.cc/pubs/97ph.html&ei=GMcETOzALdS9rAfdlIHeAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsexual%2Bharrassement%2Bat%2Bpublic%2Bplace%26hl%3Dhi

अनुवादित व प्रस्तुतिः जागोरी महिला संदर्भ केन्द्र, नई दिल्ली

हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जेण्डर आधारित हिंसा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) द्वारा की गई हिंसा की परिभाषा

''अपने या अन्य व्यक्ति या समूह या समुदाय के खिलाफ सोच समझकर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल या उसकी धमकी जिसका परिणाम या संभावना चोट, मृत्यु, मनौवैज्ञानिक हानि या विकास से वंचित होना हो। '' (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला विरूद्ध हिंसा की पहली अधिकारिक परिभाषा

''जेण्डर आधारित हिंसा, हिंसा की कोई भी ऐसी कार्यवाही अथवा उसकी घमकी, जोर–जबरदस्ती या मनमाने ढंग से आज़ादी का हनन् चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में जिसका परिणाम औरतों के लिए शारीरिक, यौनिक या मनौवैज्ञानिक हानि अथवा उत्पीड़न होता है या होने की सम्भावना है।'' (संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993)

जेण्डर आधारित हिंसा क्या है ?

जेण्डर आधारित हिंसा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है :

''हिंसा में पुरूष और महिला दोनों शामिल हैं, जिसमें महिला सामान्यतया भुक्तभोगी व पीड़ित हो जाती है, जो महिला व पुरूषों के असमान सत्ता संबंधों की उपज है।''

महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा को प्रायः ''जेण्डर आधारित हिंसा'' के अन्तर्गत देखा जाता है, क्योंकि यह समाज में महिलाओं के दोयम/कमतर जेण्डर दर्जे के कारण पैदा होती है। ज्यादातर संस्कृति, पारम्परिक विश्वास, मानक व सामाजिक संस्थाएं इन्हें वैधता देती हैं, बनाए रखती है तथा बढ़ाती हैं।

''जेण्डर आधारित हिंसा'' की धारणा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दूरगामी असर व व्यवस्था को समझने व परखने के लिए नया सन्दर्भ देता है। इसमें महिलाओं को एक पीड़ित के रूप में देखने के बजाय महिलाओं व पुरूषों के बीच जेण्डर व असमान सत्ता सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करता है जो जेण्डर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को दबा देते हैं।

प्रस्तुति : सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस

जेण्डर आधारित हिंसा पर सिडॉ की संस्तुति

ऐसी कोई भी गतिविधि जो अर्न्तराष्ट्रीय घोषणा/कानून या मानवाधिकार अन्तर्गत मिलने वाले मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों का महिलाओं द्वारा उपयोग को बाधित करता हो या अमान्य करता हो जेण्डर आधारित हिंसा के अर्न्तगत आयेगा तथा यह सीडॉ घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित भेदभाव की परिभाषा में शामिल है (अनुच्छेन 1 के अनुसार ऐसी असमानता जो कि स्त्री व पुरूष लिंग आधार पर भेद करे तथा उसका उद्देश्य व प्रभाव मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मूल अधिकारों का हन्न करना हो) इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं में शामिल है –

1) जीने का अधिकार
2) प्रताड़ित होने, क्रूरता, अमानवीयता, निम्न स्तर का उपचार या दण्ड से बचने का अधिकार
3) राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय सैन्य संघर्षो के दौरान मानवीय मानकों के अन्तर्गत समान सुरक्षा का अधिकार
4) व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार
5) कानून के अर्न्तगत समान सुरक्षा का अधिकार
6) परिवार में समानता का अधिकार
7) उच्च स्तर का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार
8) काम के लिए न्यायपूर्ण व अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने का अधिकार

(सीडॉ आम घोषणा न. 19)

प्रस्तुति : सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस

महिला हिंसा – कुछ तथ्य

महिला हिंसा पूरी दुनिया में काफी व्यापक है, फिर भी यह मानव अधिकार के हनन के रूप में सबसे कम देखा जाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य को शारीरिक व मानसिक रूप से काफी हद तक प्रभावित करता है और महिलाओं के आत्मविश्वास को भी काफी कमजोर बना देता है। ये दोनों प्रभाव किसी भी मानव के पूर्ण विकास में विशेष रूप से विकासशील देशों में, काफी बाधक हैं।

घरेलू हिंसा के मामलों की तो ज्यादातर घटनाओं की रिपोर्ट ही नहीं की जाती। घरेलू हिंसा की आम व व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत घर में महिलाओं पर पुरूषों व हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रौढ़ों द्वारा महिलाओं पर की गयी शारीरिक, यौनिक व भावनात्मक हिंसा शामिल है। यह हिंसा नज़दीकी रिस्तों में भी होती रहती है। इसका मतलब ज्यादातर घरेलू हिंसा पुरूष द्वारा अपनी पत्नी, पूर्व पत्नी, महिला पार्टनर या पूर्व महिला पार्टनर पर किया जाता है। यह किसी एक वर्ग या संस्कृति तक सीमित नहीं होता। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत अपराधिक और गैर अपराधिक व्यवहार, शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न व यौनिक शोषण व अत्याचार शामिल है। घरेलू हिंसा कई बार एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा यह काफी गम्भीर हो सकती है।

घरेलू हिंसा में हिंसा करने वाले या हिंसा को बढ़ावा देने वाले का मुख्य उद्देश्य हिंसक व्यवहार द्वारा दूसरे व्यक्तियों के उपर अपनी सत्ता बनाए रखना व नियंत्रण करना होता है।

महिला हिंसा का विस्तार

संसार में

- ☐ संसार में प्रति तीन महिलाओं में से एक को पीटा गया, संभोग के लिए मजबूर किया गया या जीवन में कभी न कभी प्रताड़ित किया गया है।
- ☐ संसार में प्रति चार महिलाओं में से एक को गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित किया जाता है।

(स्रोत : जनसंख्या रिपोर्ट श्रृंखला एल, नं. 11, 1999)

☐ संसार में 5–15 वर्ष के बीच की 20 लाख लड़कियों को हर साल वैश्यावृत्ति में धकेला जाता है।

☐ एशिया की कम से कम छः करोड़ लड़कियाँ, जिनके आज जीवित होने की सम्भावना थी, लिंग आधारित गर्भपातों, बालिका शिशु हत्याओं तथा देखभाल की कमी के कारण, आज दुनियां से ''गायब'' हैं।

(स्रोत :स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्यूलेशन फंड : यू.एन.एफ.पी.ए.–2000)

भारत में :

- प्रत्येक 78 मिनट पर एक दहेज मृत्यु।
- प्रत्येक 59 मिनट पर यौन उत्पीड़न की एक कार्रवाई।
- प्रत्येक 34 मिनट पर एक बलात्कार।
- प्रत्येक 16 मिनट पर छेड़छाड़/तंग करने की एक कार्रवाई।
- प्रत्येक 12 मिनट पर यातना की एक कार्रवाई।

(स्रोत : नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार, 1999)

- प्रत्येक 5 विवाहित महिलाओं में से एक ने घरेलू हिंसा अनुभव की है।
- प्रत्येक 9 महिलाओं में से 1 ने सर्वेक्षण के समय से पिछले बारह महीनो में पीटे जाने की बात स्वीकार की है।
- 21 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे 15 साल की उम्र से हिंसा का अनुभव कर रही हैं।
- 19 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों ने उन्हें शारीरिक रूप से मारा–पीटा है।

(स्रोत : एन.एफ.एच.एस.–2 1998–99)

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोत्तरी का स्वरूप

	वर्ष					
अपराध का प्रकार	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
बलात्कार	13754	14846	15330	15151	15468	16496
दहेज मृत्यु	5092	5513	6006	6975	6699	6995
यातना	31127	35246	36592	41376	43823	45778
उत्पीड़न	28475	28939	30764	30959	32311	32940
छेड़छाड़ / यौन उत्पीड़न	4756	5671	5796	5796	8034	11024

स्रोत : भारत में अपराध, एनसीआरबी–2000

महिलाओं पर हिंसा से प्रभाव

- जागरूकता की कमी या आत्म सम्मान की कमी।
- मानसिक स्वास्थ्य की कमी जैसे चिन्ता, उलझन तथा खाने व सोने में समस्या। हिंसा से महिला में काफी नुकसान पहुँचाने वाली आदतों या खतरनाक व्यवहार करने के तरफ धकेल सकती है, जैसे– नशीली दवाइयां लेना तथा शराब पीना, या कई साथियों के साथ यौन सम्पर्क रखना।
- गम्भीर चोट व दर्द, हड्डी टूटना, जलना, आखों का काला पड़ जाना, कट–फट जाना, सरदर्द, पेट दर्द, मांस पेसियों में दर्द आदि, और यह सब हिंसा होने के बाद भी काफी लम्बे समय तक रह सकता है।
- यौन स्वास्थ्य समस्याए कुछ औरतों को गर्भावस्था के दौरान मार खाने से गर्भपात हो जाता है। वे अनचाहे गर्भ से भी पीड़ित हो सकती हैं। यौन संचारित रोग या एच.आई.वी. / एड्स आदि खतरनाक रोग यौन हिंसा के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न प्रायः यौनिक क्रियाओं (सेक्स) के प्रति भय, यौन सम्पर्क के दौरान दर्द या यौन के प्रति अनिच्छा को भी बढ़ाता है।
- कभी–कभी हिंसा से मौत भी हो जाती है।

महिला हिंसा बच्चों पर भी असर छोड़ता है (बच्चे जब अपनी मां के प्रति हो रही हिंसा को लगातार देखते हैं तो) –

- गुस्सा या आक्रामक व्यवहार/हिंसा की नकल करना या वे बिल्कुल चुप हो सकते हैं तथा इस तरफ ध्यान देने से ही अपने को अलग कर लेते है।
- रात में डरावने सपने देखना या अन्य रूप में भयभीत होना। जिन परिवारों में हिंसा होती रहती है वहाँ बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खाते। उनका विश्वास व सीखने की इच्छा अन्य बच्चों की तुलना में काफी धीमी होती है तथा उनमें अन्य कई बिमारियां हो जाती हैं जैसे पेट में दर्द रहना, सर दर्द व सांस की बिमारी आदि।
- कभी–कभी हिंसा महिलाओं के साथ–साथ बच्चों पर भी होने लगे तो चोट व कभी–कभी मृत्यु भी हो जाती है।

महिलाओं पर हिंसा का समुदाय पर प्रभाव पड़ता है –

- नई पीढ़ी हिंसात्मक व्यवहार अपना लेती है तथा आगे बढ़ाती है।
- झूठी धारणाए बनी रहती हैं जैसे– पुरूष महिलाओं से बेहतर हैं।
- महिलाओं की सामुदायिक गतिविधियों में कम भागीदारी के कारण विकास कम होता है, रूक जाता है, जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाता।
- यदि समुदाय की महिला स्वयं पर हो रही हिंसा में चुप रह जाती है या मर जाती है तो समुदाय उस महिला में अन्तर्निहित संभावना/प्रतिभा के उपयोग से वंचित हो जाता है।

वह क्यों रूकती / झेलती है ?

यदि लोग सुनते है कि एक महिला लगातार हिंसा की शिकार हो रही है तो तुरन्त पहली प्रतिक्रिया होती है कि वह रूकी क्यों है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े होते है कि क्यों महिला हिंसात्मक संबंधों में रूके रहने का चुनाव करती है ? इसमें शामिल है :

डर व आशंका : हो सकता है कि पुरूष बोला हो मैं तुझे मार डालूंगा, बच्चों को मार डालूंगा, माँ को मार डालूंगा ऐसी परिस्थिति में वह सोच सकती है कि में शायद रूक कर स्वयं को तथा अपने पीछे या अपने साथ खड़े लोगों को बचा पाउॅगी।

पैसा नहीं है तथा स्थान नहीं है जाने के लिए : यह बिल्कुल सत्य है कि पुरूष सारे पैसे पर नियंत्रण करता है तथा महिला को अपने मित्र व परिवार से मिलने नहीं देता।

सुरक्षा नहीं : बाद में वापस आने पर उसे बचाने के लिए या उसके पति को हिंसा करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

शर्म : वह सोच सकती है कि उस पर हिंसा शायद उसकी गलती से हो रही है या वह इसी लायक है। या लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे ?

धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास : वह शायद सोचती है कि शादी के सम्बन्ध को बचाए रखने तथा एक साथ रहने की उसकी जिम्मेदारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कीमत क्या होगी।

बदलाव की आशा : वह सोच सकती है कि वह अपने पति को प्यार करती है और सम्बन्धों को आगे बनाए रखना चाहती है। इसी में से शायद कोई रास्ता निकलेगा, जिससे उस पर हिंसा रूक जायगी।

अपराध बोध : बच्चों को पिता के बगैर रहना होगा इसका अपराध बोध होता है।

(स्रोत : वेहयर विमेन हेव नो डॉक्टर, चेपटर 18)

हिंसा होने पर हम क्या कदम उठा सकते हैं ?

- हिंसा को दबाना नही चाहिए,
- हिंसा को पहचानना,
- आवाज़ उठानी चाहिए,
- तुरन्त उस महिला का इलाज, जॉच करवाना,
- हिम्मत व सहानुभूति देना,
- कानूनी मदद करनी चाहिए,
- हिंसा को एक मुददे के रूप में उभारना,
- महिलाओं व लड़कियों के बयान पर विश्वास करना, जिससे महिला को भरोसा हो कि उसे दोषी नही ठहराया जाएगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आ रहे सभी बच्चियों व महिलाओं को संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण परिवेश देना जिससे वे अपने साथ हो रहे हिंसा पर बात कर सकें एवं सलाह–परामर्श कर सकें।
- आवश्यक हो तो इसके लिए विशेष प्रश्न भी पूछा जाय, या प्रोत्साहित किया जाय।
- लड़के लड़कियों के साथ इस विषय पर चर्चा करना, ताकि उन पर हो रहे पारिवारिक हिंसा के प्रभाव को रोका जा सके।

महिला पर यौनिक हिंसा होने पर समाज की प्रतिक्रिया

जब किसी महिला के साथ यौनिक हिंसा होती है, तो समाज की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की होती है :

1. पहले यह ढूँढा जाता है कि कहीं महिला ने पुरूष को 'उत्तेजित' करने लायक कुछ किया तो नहीं था? यदि यह नहीं निकल पाता है, तो पुरूष को 'पागल' या 'अप्राकृतिक' कह करके समाज उनसे हाथ झाड़ लेता है।

2. यह भी ढूँढ़ा जाता है कि यह हिंसा महिलाओं को इस्तेमाल करके उसके परिवार/धर्म /देश की 'इज्जत' लूटने के लिए तो नहीं किया गया? यदि हां, तो फिर महिला के लिए सहयोग व सहानुभूति होती है। यदि यह नहीं हुआ तो महिला को एक खास मापदण्ड से नापा जाता है। यह परखा जाता है कि वह आदर्श स्त्री है या नहीं।

   यदि नहीं तो समाज उसकी यौन सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और इस तरह के प्रश्न खड़े करता है –

   - किस तरह के कपड़े उसने पहने थे ?
   - क्या लड़की ने शरीर को सहीं तरीके से ढका था ?
   - क्या वह गलत जगह पर गलत समय पर थी ?
   - उसका व्यवहार कैसा था ?
   - क्या वह शालीन व शर्मिली है ?
   - उसका किसी गैर मर्द से क्या रिस्ता है ?
   - क्या उसका किसी मर्द के साथ अवैध संबंध है ? यदि हाँ तब तो उसके साथ हिंसा होनी ही है।

3. यदि कोई महिला पतिव्रता नहीं है या सहनशील, समझौतावादी और ममतामयी माँ नहीं है, यदि वह अपने परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देती है, तो उसके साथ हिंसा होने पर समाज साथ नही देता है।

प्रस्तुति : सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस

मर्दानगी व जेण्डर आधारित हिंसा

प्रत्येक हिंसा की घटना पर केन्द्रित करने या व्यक्तिगत पुरूष द्वारा किये गये महिला हिसा की घटनाओं पर काम करने के बजाय पूरी सामाजिक संस्कृति जो पुरूषों की भूमिका व पहचान का निर्माण करती है का विश्लेषण करने व उस पर चुनौती खड़ा करने की आवश्यकता है।

इसका मतलब यह होता है कि पुरूषों पर तमाम तरह से पड़ने वाले दबाव जो हिंसा को परिणित करती है को पहचानने व समझने की जरूरत है साथ ही साथ पुरूषों द्वारा अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है।

मुख्यतया जेण्डर सत्ता सम्बन्ध महिलाओं के पुरूषों के अपेक्षा ज्यादा नुकसान, संसाधनों पर पहुँच, लाभ, सूचना व नियंत्रण कम और घर के अन्दर तथा बाहर सार्वजनिक स्थानों में कम अधिकार को वैधता देती है। पूर्व मे भी जेण्डर समानता के लिए इन मुद्दों तथा संघर्ष को काफी संकिर्णता के साथ महिला मुद्दो के रूप में देखा गया है और जेण्डर कार्यक्रम भी महिलाओं को केन्द्रित कर के बनाए गये थे।

पिछले दशक में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ी है कि जेण्डर समानता के आन्दोलन में पुरूषों को जोड़ने की जरूरत है। सैद्धांतिक तौर पर भी विकास में महिलाओं का जेण्डर और विकास पर ध्यान बदल गया है। इससे महिला व पुरूष के सम्बधों पर फोकस करने की जगह बनी है और साथ ही महिला समूहों व पुरूष समूहों के अन्दर इन सम्बधों में समता व समानता का मुद्दा उठाने की जगह बनी है।

इस तरह पुरूषों की भूमिकाएं उनकी जिम्मेदारियां और जेण्डर समानता के लिए उनके योगदान की सम्भावनाओं पर चर्चा मर्दानगी के मायने व मर्दानगी के उपयोग का पता करने के द्वारा चर्चा शुरू करना एक रास्ता हो सकता है।

मर्दानगी – मर्दानगी व मर्दानगियां जिसके विभिन्न स्वरूप हैं, जो विभिन्न तरीकों से बनती है – एक जटिल परिस्थिति है। मर्दानगी प्रायः आक्रामकता, प्रतियोगिता, दबाकर रखना, ताकत, साहस और नियंत्रण जैसी विशेषताओं से जोड़कर देखी जाती है। ये विशषताएं जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभावों से मिलकर बनती हैं, तथा हमारे समाज के सत्ता संरचना की समझ से सन्दर्भित होती है। यद्यपि यह स्पष्ट बताना कि इसमें कौन से तत्व किस हद तक जेण्डर गैरबराबरी को प्रभावित करते हैं, तथा जेण्डर आधारित हिंसा के कारण है, कठिन है। इन तीनों प्रभावी तत्वों हेतु चुनौती देने का फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

मर्दानगी पर ध्यान केन्द्रित करने से जेण्डर की धारणा दिखाई देने लगती है व पुरूषों के लिए ज्वलन्त बन जाती है। यह पुरूषों को जेण्डर के प्रति सजग बना देती है जिससे उनके अपने जीवन में असर दिखता है साथ ही साथ यह जेण्डर गैरबराबरी में चुनौती देने तथा महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रथम कदम होता है। पुरूषों द्वारा की गयी हिंसा जेण्डर सम्बन्धों में असमता व असमानता को दृढ़ता से निर्धारित करता है तथा दोनों महिलाओं को अशक्त व कमजोर बनाते हैं। हिंसा जेण्डर भेदभाव का आवश्यक तत्व है और गरीब तथा अमीर देशों के राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में जेण्डर आधारित गैरबराबरी की व्यवस्था का बहाना है।

इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक ढाँचे व परिवार व्यवस्था में परिवर्तन से दुनिया के कई भागों में मर्दानगी संकट में आ जाती है। मर्दानगी के पुर्ननिर्माण से हो सकता है कि गरीबी और आर्थिक व सामाजिक बदलाव प्रभावित हो तथा पुरूषों के पारम्परिक भूमिकाओं को बदल दे तथा परिवार व समुदाय में दूसरे तरह के मायने पूर्ण भूमिका का सृजन करे, हो सकता है पुरूष अपनी मर्दानगी को दूसरी तरह बनाने का रास्ता ढूंढे जैसे गैरजिम्मेदाराना यौनिक व्यवहार या घरेलू हिंसा को हटाकर।

वैचारिक अर्थव्यवस्था तथा लम्बे समय तक बेरोजगारी पुरूषों की भूमिका व पहचान जो परिवार को कमाकर खिलाने की है, को बदल रहा है। समानान्तर ही महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है – लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों व आय से जुड़े कामों में भागीदारी बढ़ रही है तथा महिलाओ के मानव अधिकार को स्वीकार किया जाने लगा है, इससे पारम्परिक श्रम विभाजन व नारीत्व की परिभाषा में भी बदलाव आ रहा है। चूंकि मर्दानगी और जननांगी को एक दूसरे के पूरक तथा कुछ हद तक एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता है, महिलाओं में कुछ बदलाव भी मर्दानगी की धारणा को चुनौती दे रहा है।

मर्दानगी की जैविक संरचना से सांस्कृतिक सामाजीकरण की तरफ फोकस बदलने से कई हिंसा रोकने में पुरूषों के कार्यक्रम हिंसक पुरूषों तक पहुँच पाये हैं जिससे उन्हें समझाया जा सकें कि किस तरह ढाँचागत दबाव, सांस्कृतिक संदेश तथा पितृत्व चलन मिलकर उनका हिसा के लिए सामाजीकरण करता है।

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक तौर पर पुरूषों के हिंसा को रखने से पुरूषों के हिंसा को बदलने या कम करने में मदद मिलती है। या इसे हिंसा का मर्दानगीकरण कहा जा सकता है। इससे जिस तरह हम लोग चर्चा करते है या मर्दानगी को देखते हैं जिससे मर्दानगी पुरूषों के ''आक्रामकता'' व ''उग्रता'' को प्राकृतिक बताती है तथा विशष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्यवाद को पुष्ट करती है, आदि पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और चुनौती खड़ी होती है।

सन्दर्भ – मैसकुलिनिटी एण्ड जेण्डर वायलेन्स, ज्रेण्डर इश्यू फैक्टशीट न0 5, यूनीफेम, इस्ट एण्ड साउथ इस्ट एशिया
प्रस्तुति : सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस

मिथक और सत्य

☒ **मिथक** : औरतों को उनके साथ होने छेड़खानी अच्छी लगती है।

☑ **सत्य** : नहीं औरतों को छेड़छाड़ पंसन्द नहीं है। यहां ज़रूरी है कि यौन हिंसा और छेड़खानी में फर्क किया जाए। अक्सर मजाक छेड़छाड़ और शरारत की आड़ में औरतों के साथ यौनिक हिंसा होती है। हालांकि बोलचाल की भाषा में औरतों के खिलाफ़ होने वाले यौन उत्पीड़न को छेड़खानी का नाम दिया जाता है पंरन्तु इससे इस तरह के हिंसा के गंभीर परिणामों को नज़रअदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

☒ **मिथक** : यौन छेड़छाड़ नुकसानरहित शरारतें हैं, जो औरतें इसका विरोध करती हैं वो मजाक नहीं समझतीं।

☑ **सत्य** : वो व्यवहार जो पंसद न हो उन्हें नुकसानरहित या मजाक नहीं कहा जा सकता। यौन हिंसा में मनचाही शरारत, आर्कषण व रूचि शामिल नहीं है। यौन उत्पीड़न परिभाषित किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पीड़िता पर व उसके काम पर पड़ने वाले असर से न कि उत्पीड़क की मंशा से।

☒ **मिथक** : औरतें अपने पहनावे और व्यवहार से छेड़छाड़ के लिए उकसाती हैं, सभ्य औरतों के साथ छेड़खानी नहीं होती।

☑ **सत्य** : यह बहुत ही आसान तरीका है कि पीड़िता पर ही उसके साथ होने वाली हिंसा का आरोप मढ़ दिया जाए। औरतों को बिना किसी डर के उनकी इच्छा के कपड़े पहनने व आजादी से घूमने फिरने का अधिकार है।

☒ **मिथक** : छेड़छाड़ एक आम बात है, एक औरत को इससे अच्छा महसूस करना चाहिए।

☑ **सत्य** : छेड़छाड़ एक आम बात नहीं है, यह सत्ता संबन्धों और पुरूषों व औरतों के बीच गैरबराबरी की वज़ह से होता हैं। इसका बहुत ही बुरा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक असर हो सकता है। शोध बताते हैं कि अक्सर औरतें यौन हिंसा से बचने के लिए स्कूल या नौकरी छोड़ देने के लिए बाध्य हो जाती हैं।

☒ **मिथक** : बहुत सी औरतें अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने नियोक्ता (मालिक) या दूसरों पर यौन हिंसा का झूठा आरोप लगाती हैं।

☑ **सत्य** : शोध बताते हैं कि एक प्रतिशत से भी कम झूठी शिकायतें दर्ज होती हैं। औरतें जो यौन हिंसा का अक्सर शिकार होती हैं वो भी बहुत कम शिकायत की हिम्मत जुटा पाती हैं। बहुत सी औरतें नौकरी छूट जाने के डर से, आगे किसी और तरह की समस्या न झेलनी पड़े या अपने चरित्र पर दाग लगने के डर से केस दर्ज नहीं करवातीं।

☒ **मिथक** : केवल पुरूष ही औरतों के साथ छेड़खानी करते हैं, पुरूष छेड़छाड़ के शिकार नहीं होते हैं।

☑ **सत्य** : पुरूष भी पुरूष के साथ यौन हिंसा कर सकते हैं, औरतें औरतों के साथ यौन हिंसा कर सकती हैं और औरतें पुरूषों के साथ भी यौन हिंसा कर सकती हैं परन्तु अधिकतर मामलों में पुरूष ही औरतों के साथ यौन हिंसा करते हैं।

☒ **मिथक** : अगर यौन छेड़छाड़ को अनदेखा किया जाए तो यह खत्म हो जायेगा।

☑ **सत्य** : यौन हिंसा आसानी से खत्म नहीं होगी अगर इसे अनदेखा किया जाए। शोध बताते हैं कि अनदेखा करने का कोई असर नहीं होता है, उत्पीड़क खुद से ऐसा करना बंद नहीं करते बल्कि अनदेखा करने से प्रायः इसका यह मतलब निकाला जाता है कि इसमें सामने वाली की सहमति या इच्छा शामिल है।

☒ **मिथक** : मैं किसी की प्रंशसा बगैर यौन हिंसा का मुज़रिम साबित हुए नहीं कर सकता/सकती।

☑ **सत्य** : किसी की प्रंशसा करना अपने आप में हिंसा नहीं है मगर यदि किसी तरह की शंका हो तो प्रंशसा न करने में ही भलाई है। याद रखें कि यौन हिंसा होना न होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका असर कैसा पड़ा है न कि इस बात पर की मंशा क्या थी।

अनुवादित व प्रस्तुति : जागोरी महिला संदर्भ केन्द्र, नई दिल्ली

सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न कैसे पहचानें ?

- अनचाहे रूप से छूना या गले लगाना
- अश्लील चर्चाएं, फब्तियां या सीटियां बजाना
- शरीर के लैंगिक अंगों को छूना, अनुचित रूप से शरीर को पकड़ना, टटोलना, चुंबन लेना
- शरीर के अंगों का अपमानजनक या अश्लील वर्णन
- व्यक्तिगत दायरे का अतिक्रमण जिससे महिला को असुविधा हो
- अशिष्ट शारीरिक प्रदर्शन
- अश्लील चित्रों का इच्छा के विरूद्ध प्रदर्शन जैसे – अश्लील पत्रिका, मोबाईल फोन पर दिखाये गए अश्लील चित्र इत्यादि
- यौन संबंधी और अपमानजनक चित्र, चुटकुले व कार्टून जो महिलाओं को अपमानित करें
- यौन संबंधी सेवाओं की मांग करना

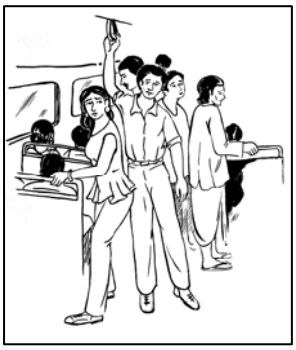

ध्यान रहे

सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक अपराध है जिसकी निम्न धाराओं के अंतर्गत सजा हो सकती है

- धारा 294 – अश्लील कार्य और गाने
- धारा 354 – महिला लज्जा भंग
- धारा 509 – महिला की लज्जा का शब्द, हाव भाव और कार्य द्वारा अनादर करना

दिल्ली परिवहन निगम कर्मियों के लिए 10 कारगर सुझाव

1. सुनिश्चित करें कि आपकी बस में पुलिस व महिला आयोग हेल्पलाइन नम्बर लगी हो।
2. सुनिश्चित करें कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट उनके लिए उपलब्ध हो – यदि महिलाएं खड़ी हैं और आप देखते हैं कि आरक्षित सीटों पर पुरूष बैठे हैं तो नम्रता से उन्हें उठ जाने को कहें।
3. यदि आप देखते हैं कि छेड़खानी हो रही है या महिला मदद के लिए आवाज़ उठा रही है तो तुरन्त अपनी सीट छोड़ कर वहां जाएं। छेड़खानी करने वाले को वहां से हटने के लिए कहें। अपनी सीट पर तब तक न लौटें जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाये।
4. यदि छेड़खानी करने वाला आपकी बात नहीं सुनता या फिर आक्रामक प्रतिक्रिया दर्शाता है तो बस के अन्य पुरूष व महिला सहयात्रियों को मदद के लिए बुलायें और स्थिति को नियंत्रित करें व उस पुरूष को वहां से हटायें।
5. यदि गंभीर हिंसा का मामला है, और स्थिति आपके और अन्य सहयात्रियों के सहयोग से भी नहीं नियंत्रित हो रही, तो बस को पास के थाने या फिर पी सी आर वैन तक ले जायें।
6. यदि अपराधी के पास कोई हथियार है, तब आप अपने को खतरे में न डालें। 100 नम्बर पर फोन मिलायें और बस को तुरंत रूकवायें। सहयात्रियों को स्थिति बयान करें कि उनकी सुरक्षा के लिए आपको बस रोकनी पड़ी। उनसे निवेदन करें कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने व अपराधी का हुलिया बताने में वे आपकी मदद करें।
7. शराबी यात्रियों के प्रति सावधान रहें – याद रखें कि आपको अधिकार है कि शराबी और हथियारबंद यात्रियों को आप बस में चढ़ने से मना कर सकते हैं। यदि ऐसे यात्री जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करें तो आप बस आगे न चलायें जब तक कि वे उतर न जायें। यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो 100 नम्बर पर फोन कर पुलिस को बुलायें।
8. रात के समय खासतौर से यदि बस में कम लोग हों तो अतिरिक्त सावधानी बरतें – महिलाओं की मदद के लिए तत्पर रहें।
9. बस डीपो पर लौटकर अपने सुपरवाईजर को छेड़खानी की घटना और उस पर आपके द्वारा लिए गए एक्शन की रिपोर्ट करें।
10. जागोरी हेल्पलाइन बुकलेट महिलाओं को मुफ्त वितरण के लिए अपने पास रखें। अपने डीपों से अतिरिक्त प्रतियॉ आप कभी भी ले सकते हैं।

आइए महिलाओं के लिए बस यात्रा सुरक्षित बना,A

बी-114, शिवालिक
मालवीय नगर
नई दिल्ली-110017
फ़ोन: 91–11–26691219
91–11–26691220
हेल्पलाइन: 26692700
फ़ैक्स: 91–11–26691221
ई-मेल: jagori@jagori.org
वेबसाईट: www.jagori.org